भारत सरकार, रेल मंत्रालय,
रेलवे भर्ती बोर्ड

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 09/2025

सातवें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 1 में विभिन्न पदों पर भर्ती

विषयसूची

क्र. सं.	पैरा सं.	विषय	पेज संख्या
1		**महत्वपूर्ण तिथियां**	1
2		**महत्वपूर्ण निर्देश**	2
3	1.0	सामान्य निर्देश	7
4	2.0	रिक्तियाँ	10
5	3.0	पदों के लिए चिकित्सा मानक	11
6	4.0	राष्ट्रीयता/नागरिकता	12
7	5.0	आयु सीमा	12
8	5.1	उम्मीदवारों की जन्म दिनांक	13
9	5.2	आयु में छूट	13
10	6.0	शैक्षणिक योग्यता	15
11	7.0	परीक्षा शुल्क	15
12	7.1	शुल्क भुगतान का माध्यम	16
13	7.2	अल्पसंख्यक	16
14	7.3	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी)	16
15	7.4	परीक्षा शुल्क की वापसी	17
16	8.0	वर्टीकल आरक्षण	17
17	8.5	अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण	18
18	8.13	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	19
19	9.0	होरिजोंटल आरक्षण	20
20	10.0	भूतपूर्व सैनिक	20
21	11.0	विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	22
22	11.7	स्क्राइब की सहायता और अतिरिक्त समय	25
23	11.7.8	स्क्राइब का पंजीकरण	26

24	12.0	रेलवे एक्ट अप्रेंटिस	27
25	13.0	वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)	28
26	14.0	भर्ती प्रक्रिया	28
27	15.0	अंकों का मानकीकरण (नार्मालाईजेशन)	32
28	16.0	आवेदन कैसे करें	32
29	16.2	खाता बनाएं (क्रिएट एन एकाउंट)	32
30	16.3	ऑन लाइन आवेदन जमा करने के लिए दिशा निर्देश	32
31	16.4	आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो खींचना	33
32	16.5	अनिवार्य स्कैन हुए दस्तावेज	34
33	16.6	स्क्राइब की सहायता	35
34	16.7	प्रस्तुत आवेदन विवरण में संशोधन	37
34	18.0	आवेदन में संशोधन	37
35	19.0	अमान्य आवेदन/अस्वीकृतियाँ	38
36	20.0	ई- बुलावा पत्र से संबंधित निर्देश	38
37	21.0	मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण पत्रों का प्रारूप	39
38	22.0	अनुचित व्यवहार का प्रयोग	40
39	23.0	विविध	40
40	24.0	विभिन्न आरआरबी का विवरण और उनकी वेबसाइट	41
41	25.0	सीईएन में उपयोग किए गए संक्षिप्त रूप	42

अनुलग्नकों की सूची

क्र. सं.	अनुलग्नक संख्या	विषय	पृष्ठ सं.
1	अनुलग्नक- I	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप	42
2	अनुलग्नक- I I	अ.पि.व.(नॉन-क्रिमीलियर) के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप	43
3	अनुलग्नक- II A	अ.पि.व.(नॉन-क्रिमीलियर) के लिए स्व-घोषणा पत्र	44
4	अनुलग्नक- III	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र	45
5	अनुलग्नक- IIIA	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए प्रमाण पत्र	46
6	अनुलग्नक- IV	अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए दस्तावेज परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र	47
7	अनुलग्नक- V(A)	प्रपत्र – V - दिव्यांगता प्रमाण पत्र (अंग विच्छेदन या अंगों के पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनेपन के मामलों में और अंधत्व के मामलों में)	48
8	अनुलग्नक- V(B)	प्रपत्र-VI - दिव्यांगता प्रमाण पत्र (एक से अधिक दिव्यांगताओं के मामले में)	49
9	अनुलग्नक- V(C)	स्क्राइब के उपयोग के लिए वचन पत्र	50
10	अनुलग्नक- V(D)	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।	51
11	अनुलग्नक- V(E)	40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा लिखित वचन पत्र।	52
12	अनुलग्नक- V(F)	परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की परीक्षा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र	53
13	अनुलग्नक- VI	भूतपूर्व सैन्य कर्मियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा	54
14	अनुलग्नक- VI (A)	कार्यरत कर्मियों के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र (EXSM)	55
15	अनुलग्नक- VII	सीईएन संख्या 09/2025 के अंतर्गत लेसिक या अन्य नेत्र शल्य चिकित्सा से संबंधित ए2 और ए3 चिकित्सा मानक वाले पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली स्व-घोषणा का प्रपत्र।	56
16	अनुलग्नक- ए	पोस्ट पैरामीटर	57
17	अनुलग्नक- बी	आरआरबी और रेलवे वार रिक्तियों की तालिका	59

भारत सरकार, रेल मंत्रालय,
रेलवे भर्ती बोर्ड

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 09/2025

(सातवें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 1 में विभिन्न पदों पर भर्ती)

महत्वपूर्ण तिथियां

रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना के प्रकाशन की दिनांक	27.12.2025
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक दिनांक और समय	31.01.2026 (00:00 बजे)
ऑनलाइन आवेदन जमा करने का अंतिम दिनांक और समय	02.03.2026 (23:59 बजे)
आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम दिनांक और समय।	04.03.2026 (23:59 बजे)
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विण्डो का दिनांक और समय (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं'**('Create an account')** फॉर्म एवं 'चुने गए रेलवे '**('Chosen Railway')** में भरे गए विस्तृत विवरण को बदला नहीं जा सकेगा)	05.03.2026 से 14.03.2026
दिनांक जिनके दौरान पात्र स्क्राइब उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल में अपने स्क्राइब का विवरण अवश्य ही प्रदान करना होगा	15.03.2026 से 19.03.2026

कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं की दिनांक और भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरणों की तारीखें इस नोटिस के पैरा- 24.0 में दी गई रेलवे भर्ती बोर्ड (रेलवे भर्ती बोर्ड) की अधिकारिक वेबसाइट्स पर समय-समय पर बताई जाएंगी।

भारतीय रेलवे की विभिन्न इकाइयों में 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 में विभिन्न पदों के लिए पात्र भारतीय नागरिकों और अन्य नागरिकों से, जैसा कि इस सीईएन के पैरा 4 में बताया गया है, आरआरबी द्वारा आरआरसी की ओर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी तरह से पूर्ण भरे आवेदन, अपनी चुनी हुई रेलवे भर्ती बोर्ड को 02.03.2026 को 23.59 बजे तक ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।

रिक्तियों का संक्षिप्त विवरण

विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों का सारांश, संदर्भ हेतु नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सीईएन में शामिल विभिन्न पदों के मापदंड (योग्यता, चिकित्सा मानक और दिव्यांगजनों के लिए पद की उपयुक्तता आदि) अनुलग्नक **ए** (Annexure – A) में दिए गए हैं तथा सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे और पदवार रिक्तियां अनुलग्नक **बी** (Annexure – B) में दी गई हैं। हालांकि, रेलवे इन रिक्तियों को आंशिक या पूर्ण रूप से संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

पद	प्रारंभिक वेतन	चिकित्सा मानक	आयु (**01-01-2026** को)	कुल रिक्तियां
7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में विभिन्न पद	18000	अनुलग्नक 'ए' के अनुसार	18-33 वर्ष	22195
नोट: अ.जा,अ.जा.ज, अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, भूतपूर्व सैनिक और सीसीएए के लिए आरक्षण और अलग-अलग एलिजिबल कैटेगरी के लिए उम्र में छूट इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) में दिए गए विवरण के अनुसार लागू होगी।				

महत्वपूर्ण निर्देश– ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन जमा करना

1. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध सीईएन में दिए गए संपूर्ण निर्देशों और सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ लें।
2. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) के विरूध ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अन्तिम दिनांक तक उनके पास पद के लिए बताई गई सभी पात्रता शर्तें हों/पूरी करते हों। वे उम्मीदवार जो ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
3. इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) के पैरा 24.0 (A) में दी गई केवल अधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर दिए गए लिंक के ज़रिए ही आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाएं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इस विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) के अनुलग्नक (A) (यानी पोस्ट-वाइज़ पैरामीटर) और अनुलग्नक (B) (यानी रेलवे-वाइज़ और पोस्ट-वाइज़ वैकेंसी का विवरण) ध्यान से देखें। इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) में रेलवे वार दर्शाई गई रिक्तियां अस्थायी हैं। और संबंधित रेलवे प्रशासन की जरूरत के हिसाब से बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) के पैरा 24.0 में (ए व बी) बताई गई रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRBs/RRCs) की अधिकारिक वेबसाइटों को ही देखें तथा फर्जी/नकली वेबसाइटों और जालसाजों/धोखेबाजों से बहुत सावधान रहें। सीबीटी की तारीख और सीबीटी का परिणाम इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) के पैरा 24.0 (ए) में बताई गई आरआरबी की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। पीईटी, दस्तावेजों का सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण और एम्पैनलमेंट की तारीखें इस सीईएन के पैरा 24.0 (बी) में सूचीबद्ध सभी आरआरसी की वेबसाइटों के ज़रिए समय-समय पर बताई जाएंगी।
5. **आरआरबी का चयन और पदों के लिए प्राथमिकताएं**: उम्मीदवार केवल एक आरआरबी /रेलवे ज़ोन चुन सकतें हैं और उस चुने हुए आरआरबी /रेलवे ज़ोन में अधिसूचित पदों/श्रेणियों के लिए अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं, जिनके लिए उम्मीदवार आवेदन करने में रुचि रखता हैं और योग्य हैं।जिन उम्मीदवारों ने कुछ ही विकल्प चुने हैं, उन पर सिर्फ़ उन्हीं खास पदों/श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा, जिन्हें उन्होंने चुना है, बशर्ते आबंटन के समय उन पदों पर रिक्तियां हों। यदि कुछ पदों/श्रेणियों के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाता है, तो इसे उन पदों के लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन लाइन आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इस विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 09/2025 में रिक्ति हेतु मानक और रिक्ति तालिका को ध्यान से देखें। इसके बाद ही उम्मीदवार अपनी पात्रता के अनुसार चुने गए रेलवे में आरआरबी/रेलवे ज़ोन और पोस्ट (पदों) के लिए विकल्प का चयन करें। आरआरबी/रेलवे ज़ोन के लिए एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।
7. उम्मीदवारों को उसके द्वारा चुने गए आरआरबी/रेलवे जोन हेतु इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) में अधिसूचित सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। उम्मीदवार केवल किसी एक आरआरबी/रेलवे जोन हेतु आवेदन कर सकता है। अलग-अलग आरआरबी या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन जमा करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) के तहत किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करने की कोशिश करने पर, उसे भर्ती प्रक्रिया और आरआरबी तथा आरआरसी की भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए अपात्र घोषित कर बाहर कर दिया जाएगा।
8. उम्मीदवारों की पात्रता पर विचार ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अस्थायी रूप से किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड पात्रता के संबंध में आवेदनों की विस्तृत जाँच नहीं करेगा; अतः उम्मीदवारी केवल आवश्यक मूल पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षणिक योग्यता, आयु, चिकित्सीय मानक आदि से संबंधित

आवश्यकताओं का स्वयं सावधानीपूर्वक अध्ययन कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे संबंधित पद के लिए पात्र हैं। शैक्षणिक योग्यता, आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण-पत्र/दस्तावेज़ों की जाँच दस्तावेज़ सत्यापन के समय रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC) द्वारा की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेज़ों की जाँच के उपरांत, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाण-पत्रों/दस्तावेज़ों द्वारा सिद्ध नहीं होता, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, भर्ती के किसी भी चरण में अथवा उसके पश्चात यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार से संबंधित कोई भी जानकारी असत्य/गलत है, या उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है, अथवा उम्मीदवार संबंधित पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।

9. एससी/एसटी/ओबीसी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ईबीसी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क छूट, आरक्षण, आयु छूट आदि का दावा करने की महत्त्वपूर्ण दिनांक, जहाँ अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस सीईएन के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक होगी।

10. आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले ऐसे सभी उम्मीदवारों (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भू.सै./सीसीएए) यह सुनिश्चित कर लें कि वे नियमों/सीईएन में बताई गई पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास नियमों/सीईएन में बताए गए अनुसार, अपने दावे के समर्थन में ज़रूरी सभी प्रमाण पत्र तय प्रारूप में हों।

11. **मेडिकल फिटनेस** : उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस पद/पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए तय चिकित्सा मानक को पूरा करते हों। प्रत्येक उम्मीदवार ध्यान दें कि अगर नियुक्ति के समय उम्मीदवार चुने गए पद के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त (मेडिकली अनफिट) पाया जाता है, तो उसे कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

12. **आयु (01.01.2026 तक)** : प्रत्येक पद के लिए तय की गई न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा, संबंधित ऊपरी आयु सीमा में छूट के साथ पैरा 5.1 और 5.2 में दर्शायी गई है।

13. उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय **मोबाइल नंबर**, **वैध तथा सक्रिय ईमेल आईडी** होनी चाहिए और उसे **(मोबाइल नम्बर व ईमेल)** भर्ती प्रक्रिया की पूरी अवधि तक सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्डो द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक भर्ती से सम्बन्धित प्रत्येक सूचना केवल एसएमएस तथा ईमेल के माध्या से ही भेजी जाती है।

14. रेलवे भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ट द्वारा किसी भी चरण पर **मोबाइल नंबर और ईमेल** बदलने के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इस सीईएन के तहत किसी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आई.डी. से सिर्फ़ एक ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति है।

15. केंद्र/शहर का आवंटन सीबीटी/पीईटी के लिए तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को सीबीटी/पीईटी में भाग लेने के लिए अन्य शहरों/राज्यों में यात्रा करनी पड़ सकती है। **परीक्षा केंद्र बदलने का कोई भी अनुरोध किसी भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

16. उम्मीदवार आवेदन के विवरणों में संशोधन कर सकते हैं सिर्फ़ 'खाता बनाएँ'**('Create an account')** फ़ॉर्म में भरे गए विवरण और चयनित रेलवे **('Chosen Railway')** को छोड़कर, भले ही आवेदन जमा कर दिया गया हो, लेकिन केवल आवेदन में सुधार के लिए संशोधन विंडो की अंतिम दिनांक तक, और संशोधन शुल्क का भुगतान करके। हालाँकि, आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए संशोधन विंडो की अंतिम दिनांक (14.03.2026) के बाद, रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी प्रकार की संशोधन संबंधी याचिका को स्वीकार नहीं करेगा।

17. उम्मीदवारों को अपनी स्वहित में सलाह दी जाती है कि वे **'खाता बनाएँ'** चरण में अपनी पहचान **डिजिलॉकर** या **आधार** का उपयोग करके प्रमाणित करें। यदि उन्होंने यह चरण छोड़ दिया, तो वे ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान **'आधार सत्यापित करें'** सुविधा का उपयोग करके अपनी आधार जानकारी प्रदान कर पहचान प्रमाणित कर सकते हैं। यह कार्य किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन की अंतिम प्रस्तुति से पहले पूरा करना आवश्यक है। इससे उम्मीदवारों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में प्रक्रिया सुगम और सरल होगी। यदि आवेदक

अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरण वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों के माध्यम से सत्यापित करते हैं, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में काफ़ी अधिक कड़ी और विस्तृत जाँच से गुजरना पड़ेगा।

18. ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों से 'खाता बनाएं' **('Create an account')** के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024/2025 में अधिसूचित किए गए सीईएन के लिए पहले ही खाता बना लिया है, तो उन्हें उसी खाता क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा और इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 09/2025 के लिए भी आवेदन करना होगा। अगर उम्मीदवारों ने पहले खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले सबसे पहले खाता बनाना होगा। उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यन्त सावधानी से भरे, क्योंकि खाता बनाने के उपरान्त किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी भी चरण में फार्म में भरा गया विवरण (**मोबाइल नंबर और ईमेल** सहित) को एक बार खाता बनने के बाद किसी भी चरण पर बदला नहीं जा सकता। खाता बनने के बाद, **('Create an account')** फॉर्म में भरी गई जानकारी (जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल हैं) और चुने गए आरआरबी/रेलवे ज़ोन को किसी भी स्तर पर बदला नहीं जाएगा।
19. ऑनलाइन आवेदन (जो सभी तरह से पूरा हो) जमा करने के बाद, अगर कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरी गई जानकारी (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए रेलवे को छोड़कर किसी भी विवरण में बदलाव, परिवर्तन या सुधार करना चाहता है, तो वह दिनांक 05.03.2026 से 14.03.2026 (23:59 बजे तक) हर बार 250/- रुपये (नॉन-रिफंडेबल) का संशोधन शुल्क जमा कर ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरी गई जानकारी (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए आरआरबी/रेलवे ज़ोन में कोई बदलाव नहीं जा सकेगा।
20. दिनांक 14.03.2026 के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में बदलाव के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
21. **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है** कि वे आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए, अपने हित में अंतिम दिनांक से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत कर जमा करें। इस सावधानी की सलाह का कारण यह है कि ऑनलाइन पंजीकरण के आखिरी दिनों में इंटरनेट या वेबसाइट पर भारी लोड होने की संभावना रहती है।

    उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन 09/2025 के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) ।

    ईमेल: rrb.help@csc.gov.in, फ़ोन: 9592001188, 01725653333

उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अंतिम दिन के भीतर पंजीकरण और/या अपना आवेदन जमा नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।

महत्वपूर्ण निर्देश- परीक्षा प्रक्रियाएँ

1. **परीक्षा के चरण** : परीक्षा एकल चरण में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के तहत होगी। हालांकि रेलवे प्रशासन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) को सिंगल या मल्टी चरण मोड में आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट- पीईटी) देना होगा। उसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा जांच होगी।
2. **बुलावा पत्र**: उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक से शहर और दिनांक की सूचना, ई-बुलावा पत्र और यात्रा प्राधिकरण (जहां भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा।
3. **पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टिंग:** पीईटी के लिए उम्मीदवारों की रेलवे/आरआरसी के हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग रिक्तियों के तीन गुना उम्मीदवारों की दर से की जाएगी (रेलवे प्रशासन की ज़रूरत के हिसाब से यह संख्या बढ़ या घट सकती है)। पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी में उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर होगी। अंकों का नॉर्मलाइज़ेशन विभिन्न चरणों में आयोजित सीबीटी के आधार पर किया जाएगा।

4. दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग रेलवे/आरआरसी के हिसाब से उस रेलवे/आरआरसी में खाली रिक्तियों के 1:1 के अनुपात में की जाएगी, जो सीबीटी में उनकी मेरिट और पीईटी में सफलता (क्वालिफिकेशन) पर आधारित होगी। दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आरआरसी की अधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ एसएमएस और ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. पर) के ज़रिए दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने के लिए अपने ई- बुलावा पत्र डाउनलोड करने की जानकारी दी जाएगी।
5. **नकारात्मक अंकन**:- कंप्यूटर आधारित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा। (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी)।
6. **रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को बुलाना**: निर्धारित रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को पीईटी और/या बाद के चरणों के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो उम्मीदवार नहीं आते हैं और भर्ती प्रक्रिया में इसी तरह की दूसरी आपातकालीन स्थितियों से निपटा जा सके। **यह साफ़ तौर पर ध्यान दिया जाए कि पीईटी और दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्सा जांच के बाद के चरणों में बुलाए जाने और क्वालिफाई करने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को पैनल में शामिल किया जाएगा या उसे रेलवे द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पक्का अधिकार मिल जाएगा।**
7. **कदाचार:** यदि कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजता है, नाम बदलकर परीक्षा देने आता है, तो उसे रेलवे भर्ती बोर्ड / आरआरसी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) की सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति पाने से वंचित कर दिया जाएगा तथा यदि वह पहले से नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।आपका ध्यान, दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी अधिनियम "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित माध्यमों की रोकथाम हेतु) अधिनियम, 2024" की ओर आकर्षित किया जाता है, जो sansad.in > legislation > bills पर उपलब्ध है तथा भारत के राजपत्र में dopt.gov.in/whats-new पर भी उपलब्ध है।
8. **प्रतिबंधित सामग्री:** परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, पेजर, घड़ी, इयर फोन, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस, माइक्रो फोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पेड, बेल्ट, हैंड बैग, कैप, पर्स, कैमरा, पानी बोतल, पैकेज्ड/खुला खाने का सामान इत्यादि लाना सख्त मना है। परीक्षा केंद्र के अंदर सिर्फ़ ई-बुलावा पत्र ही ले जाने की अनुमति होगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के अंदर कोई पेन/पेंसिल न ले जाएं। परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को पेन उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों/पैरों पर मेहंदी न लगाएं क्योंकि इससे बायोमेट्रिक्स कैप्चर करने में कठिनाई होती है।
9. परीक्षा केंद्रों पर सामान सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था शायद उपलब्ध न हो। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान/प्रतिबंधित सामग्री, जिसमें मोबाइल फोन आदि शामिल हैं, न लाएँ।

विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना

1.0 सामान्य निर्देश

1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

1.2 इस अधिसूचना के तहत पद(पदों) के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता(योग्यताएं) और चिकित्सा मानदंडों सहित सभी पात्रता/मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) के लिए उनके पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं हैं। **जो लोग निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं**

और इसलिए वे आवेदन न करें।

1.3 जो उम्मीदवार इस सीईएन के अंतर्गत पद(पदों) के लिए **एक से अधिक आवेदन** जमा करते हैं, उन्हें सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) की भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, उन उम्मीदवारों के आवेदन जो एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे जोन और/या एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे जोन के लिए जानकारी और / या तथ्यों में मामूली बदलाव के साथ कई आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, को सीधे रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की भविष्य की सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।

1.4 जिन अभ्यर्थियों को किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा जीवन भर के लिए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वंचित कर दिया गया है, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

1.5 जिन उम्मीदवारों को भारत सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और इसलिए वे आवेदन न करें।

1.6 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में खाता बनाते समय अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक वही भरें जो एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा के परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज हो।

नोट: हालांकि, जिन उम्मीदवारों के पास सिर्फ आईटीआई/एनएसी योग्यता है, वे ये विवरण (नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि) आईटीआई/एनएसी प्रमाण पत्र के अनुसार भर सकते हैं।

(क) अगर एसएससी/एसएसएलसी /मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में लिखे नाम में कोई बदलाव है, तो उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में सही जगह पर अपना बदला हुआ नाम और साथ ही अपना एसएससी/एसएसएलसी /मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा का नाम अलग-अलग दर्शाएं हालांकि, बाकी सभी जानकारी एसएससी/एसएसएलसी /मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समतुल्य प्रमाण पत्र के अनुसार ही होनी चाहिए और इस तरह का कोई भी बदलाव ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए।

(ख.) ऐसे मामलों में, गैजेट नोटिफिकेशन या कोई दूसरा कानूनी दस्तावेज, जैसा भी लागू हो, बदले हुए नाम वाले किसी एक वैध फोटो आईडी के साथ दस्तावेज सत्यापन (डी.वी.) के समय जमा करना होगा।

1.7 उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे पैरा 16.4 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी लाइव फोटो और पैरा 16.5.1 में बताए गए मानक विनिर्देशों के अनुसार अपने खुद के रनिंग हैंडराइटिंग में हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधली, पढ़ने में मुश्किल या गैर मानक फोटो और/या कैपिटल लेटर में किए गए हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर निरस्त किया जा सकता है। **भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण पर और सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर एक जैसे और रनिंग हैंडराइटिंग में होने चाहिए, कैपिटल लेटर में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई कैपिटल/ब्लॉक/अलग-अलग अक्षर वाले हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं है।**

1.8 सीबीटी/पीईटी/डी.वी. की तिथि भी भाग लेने वाले आरआरबी/आरआरसी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। इसके बाद, सीबीटी/पीईटी/डी.वी. के लिए ई-बुलावा पत्र केवल संबंधित आरआरबी/आरआरसी की अधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, जैसा कि पैरा 24.0 (ए एवं बी) में बताया गया है। कोई भी बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।ई-बुलावा पत्र में बताया गया सीबीटी/पीईटी/डी.वी. केंद्र, तिथि और पाली अंतिम होगी और तारीख/समय/जगह बदलने के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। **आरआरबी/आरआरसी बिना कोई कारण बताए, अतिरिक्त सीबीटी और/या पीईटी, दस्तावेज सत्यापन (डी.वी.) आदि, शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।**

1.9 इस सीईएन में बताई गई रिक्तियां अस्थायी हैं और रेलवे प्रशासन की मूल ज़रूरतों के आधार पर बाद में उनमें कोई भी बदलाव (बढ़ोतरी/कमी) हो सकता है या वे कुल मिलाकर या विशेष समुदाय/पदों/इकाई में शून्य भी हो सकती हैं। साथ ही, रेलवे कि आवश्यकता अनुसार बाद में भी अतिरिक्त पदों को भी शामिल की जा सकता हैं।

1.10 रेलवे प्रशासन अपने विवेक से, अधिसूचित रिक्तियां को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और यह निर्णय सभी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियां रद्द होने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा दिया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, सिवाय उन उम्मीदवारों के जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में उपस्थित हुए हो | (शुल्क राशि की वापसी के लिए पैरा 7.0 देखें।)

1.11 केवल ई-बुलावा पत्र जारी होने का मतलब यह नहीं है कि आरआरबी ने भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है। परीक्षा के समय, उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले, उनकी फ़ोटो और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता को उम्मीदवार के अन्य ज़रूरी साख (क्रेडेंशियल्स) के साथ सत्यापित किया जाएगा। उम्मीदवारों के क्रेडेंशियल्स को भर्ती के अगले चरणों में उनके द्वारा बताई गई जानकारी की प्रामाणिकता के साथ सत्यापित किया जाएगा।

1.12 आरआरसी पात्रता शर्तों का सत्यापन (मूल दस्तावेजों के आधार पर) तभी करते हैं जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में सफल हो जाते हैं और अनंतिम रूप से दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने (शॉर्टलिस्ट) जाते हैं। आरआरसी दस्तावेज सत्यापन के समय, ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण को उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल सहायक (सपोर्टिंग) दस्तावेजों से सत्यापित करेगा। आवेदन पत्र में बताई गई जानकारी और सहायक (सपोर्टिंग) दस्तावेजों के बीच कोई भी विसंगति या पात्रता मापदंड (जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति/वर्ग, चिकित्सा मानक आदि) को पूरा न करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, अगर भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद यह पता चलता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है या ज़रूरी तथ्यों को छिपाया है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर कर दी जाएगी और अगर उन्हें नियुक्त कर दिया गया है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा और साथ ही, ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की सभी परीक्षाओं से जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

1.13 **पद(पदों) और/या रेलवे/इकाई(ओं) के लिए वरीयता** : उम्मीदवारों द्वारा चयनित रेलवे में वे विभिन्न पदों के लिए विकल्प, जिनके लिए वे पात्र हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान लिए जाएंगे।

भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) केवल योग्य उम्मीदवारों के विकल्पों के अनुसार ही पद और रेलवे/इकाई का आवंटन करेगा, बशर्ते कि योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्तियों की स्थिति अनुरूप हो। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता/विकल्प के अनुसार सूचीबद्ध कर दिया गया, तो वे किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देंगे।

जो उम्मीदवार आंशिक विकल्प भरते हैं, उन्हें केवल उनके द्वारा चुनी गई विशिष्ट कोटियों के लिए ही इच्छुक माना जाएगा। कुछ निश्चित पदों के लिए विकल्प न भरने पर, उनकी उस पद/कोटियों के लिए अनिच्छा मानी जाएगी।

हालाँकि, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) के पास प्रशासनिक हित में आवश्यक समझने पर उम्मीदवार द्वारा न चुने गए पद/रेलवे/इकाई का आवंटन करने का अधिकार भी सुरक्षित है, बशर्ते उम्मीदवार संबंधित पद (पदों) की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

अगर उम्मीदवारों के पैनल बनाने में कमी होती है या कोई आकस्मिक आवश्यकता (एग्जीजेंसिस) होती है, तो आरआरसी ज़रूरत पड़ने पर, उम्मीदवारों की मेरिट और विकल्प के हिसाब से योग्यता सूची में नीचे के उम्मीदवारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है हालाँकि, इससे ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का कोई पक्का अधिकार नहीं मिलेगा।

1.14 **नियुक्ति का अधिकार** : रेलवे भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ चयनित उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है। रेलवे भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ का कार्य क्षेत्रीय रेलवे के सक्षम प्राधिकारी को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करना है,जो रिक्तियों की उपलब्धता और पूर्ववृत्त (एंटीसिडेंट)) और चरित्र सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करते हैं। कोटि/पद/रेलवे का आवंटन योग्यता सूची, पद वरीयता, चिकित्सा मानक और पैनल बनने की तिथि तक रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर होगा। आरआरसी द्वारा कोटि/पद/रेलवे का आवंटन होने के बाद, उम्मीदवार उस पे-लेवल के अंदर

किसी दूसरे कोटि/पद के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देंगे।

1.15 **पदस्थापना** : सामान्यतया, रेलवे कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा जिसमें उसे पहली पदस्थापना पर तैनात किया गया है और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी सेवा की आकस्मिक आवश्यकताओं में रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है, जिसमें भारत के अंदर या बाहर की परियोजना भी शामिल है। जब तक नव नियुक्त उम्मीदवार 5 से 10 वर्ष के बीच की रेल सेवा पूरी नहीं कर लेता, तब तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई आवेदन पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी और विचार-विमर्श के बाद अपना रेलवे भर्ती बोर्ड चुनें।

1.16 चयनित उम्मीदवारों को जहां भी निर्धारित हो, प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान यथा लागू स्टाइपेन्ड का भुगतान किया जाएगा।

1.17 अंतिम रूप से नियुक्त किए जाने वाले चयनित उम्मीदवार प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

1.18 चयनित उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति के समय, जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा और/या क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने होंगे।

1.19 रेलवे भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ के पास रेलवे भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ की चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण पर, जिसमें पैनल बनने के बाद और उम्मीदवार की रेलवे में नियुक्ति के बाद भी, कोई अनजाने में हुई गलती या टाइपिंग की गलती पाए जाने पर परिणामों को रद्द/बदलने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अलावा, रेलवे भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ के पास ऐसे उम्मीदवारों को चयनित पैनल से हटाने और रेलवे से उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है, और अगर वे पहले से नियुक्त हैं, तो उन्हें रेलवे सेवा से हटाया जा सकता है।

1.20 **मुफ्त रेल यात्रा सुविधा:** केवल एससी और एसटी उम्मीदवारों को केवल (अनुरोध करने पर) मुफ्त स्लीपर क्लास रेलवे पास दिया जाएगा, जो उन्हें चयन के अलग-अलग चरणों जैसे सीबीटी/ पीईटी/ डी.वी./ चिकित्सा परीक्षण (जैसा लागू हो) के लिए उनके ई- बुलावा पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाएगा जो कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी और वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार होगा।

उम्मीदवार को आरक्षित यात्रा टिकट लेते समय और रेल में यात्रा करते समय, अपनी प्रामाणिकता की जांच कराने के लिए संबंधित अधिकृत रेलवे प्राधिकारी को अपना मूल एससी और एसटी समुदाय का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस मुफ्त रेल यात्रा सुविधा का कोई भी दुरुपयोग करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करना भी शामिल है।

1.21 रेलवे भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) सीईएन के तहत भर्ती के नियमों और शर्तों में, किसी भी स्तर पर, बदलाव/संशोधन/ जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि आवश्यक हो और लागू हो।

1.22 रेलवे भर्ती बोर्ड, उम्मीदवारों की सहमति से, इस भर्ती में प्राप्त उनके स्कोर (अंक) भर्ती के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ साझा कर सकते हैं। अत; अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/असमति का उल्लेख अवश्य करें।

2.0 **रिक्तियाँ –**

2.0 इस सीईएन में शामिल विभिन्न पदों के पोस्ट पैरामीटर (न्यूनतम/अधिकतम आयु, योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता आदि) **अनुलग्नक-ए** में दिए गए हैं।

2.1 एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, सीसीएए और पीडब्ल्युबीडी के लिए रिक्तियों के आरक्षण सहित सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे और पदवार रिक्तियां **अनुलग्नक-बी** में दी गई हैं।

2.2 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि ये रिक्तियां रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं । (इसके लिए सामान्य निर्देशों का पैरा 1.9 देखें।)

3.0 **पदों के लिए चिकित्सा मानक** -

दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा पास करना होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार उनके द्वारा चुने गए पद(पदों) से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य हैं। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है। अलग-अलग कोटियों के लिए अलग-अलग चिकित्सा मानक निम्नलिखित है:-

क्र.स.	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृश्य तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूटी)
1.	ए 2	शारीरिक तौर पर पूर्णत: स्वस्थ	**दूर की दृष्टि**: 6/9, 6/9 बिना चश्मे के (कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं) **निकट दृष्टि**: एसएन: 0.6, 0.6 बिना चश्मे के और कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न इत्यादि टेस्ट पास करने होंगे।
2.	ए 3	शारीरिक तौर पर पूर्णत: स्वस्थ	**दूर की दृष्टि**: 6/9, 6/9 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के (लेंस की क्षमता 2 डी से अधिक नहीं) **निकट दृष्टि**: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के और कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न इत्यादि टेस्ट पास करने होंगे।
3.	बी 1	शारीरिक तौर पर पूर्णत: स्वस्थ	**दूर की दृष्टि**: 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के (लेंस की क्षमता 4डी से अधिक नहीं) **निकट दृष्टि**: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के जहाँ पढ़ने या नज़दीक का काम करने की ज़रूरत हो और कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न इत्यादि टेस्ट पास करने होंगे।
4.	सी-1	शारीरिक तौर पर पूर्णत: स्वस्थ	**दूर की दृष्टि**: 6/12, 6/18 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। **निकट दृष्टि**: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के जहाँ पढ़ने या नज़दीक का काम करने की ज़रूरत हो।

नोट :-

(क) ऊपर दिए गए चिकित्सा मानक सिर्फ़ सांकेतिक हैं, पूरी जानकारी नहीं हैं और आम तौर पर सभी उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे **'भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल वॉल्यूम-I' का चैप्टर 5 पढ़ें जिसे** वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर भी देखा जा सकता है और उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा चुने गए पद(पदों) के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार पात्र हैं।

(ख) जो उम्मीदवार लेसिक सर्जरी या रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करने के लिए कोई दूसरी सर्जरी करवा चुके हैं, वे इस सीईएन में चिकित्सा मानक ए-2 और ए-3 वाले पदों के लिए पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुलग्नक -VII में इस बाबत घोषणा करनी होगी।

(ग) उम्मीदवार लेसिक सर्जरी या रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करने के लिए कोई दूसरी सर्जरी करवा चुके हैं, वे रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2022/H/5/1/NER/Dalbir दिनांक 25.08.2022 [जो अनुलग्नक - VIII में दिया गया है] में बताई गई शर्तों के अनुसार चिकित्सा मानक बी-2, सी-2 वाले पदों के लिए पात्र हैं।

(घ) PwBD के लिए चिकित्सा मानक, जैसा कि भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (IRMM) वॉल्यूम I के पैरा 511 (7) में विस्तार से बताया गया है, जिसे www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MMVolI/

Chapter5.pdf पर देखा जा सकता है।

(ङ) भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534, के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा मानक अलग हैं, जिन्हें www.Indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

(च) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा चुने गए पद(पदों) के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार पात्र हैं। यदि उम्मीदवार चुने गए पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा उपयुक्तता पास करने में विफल रहता है, तो उसे उस पद के लिए पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा और वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

(छ) "अगर कोई उम्मीदवार अपनी प्रारंभिक चिकित्सा जांच के दौरान पद के लिए ज़रूरी चिकित्सा मानक पूरे नहीं कर पाता है, तो उसे तय शर्तों के साथ, तय शुल्क का भुगतान करके चिकित्सा अपील करने का एक मौका दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने तय समय सीमा के अंदर चिकित्सा अपील का विकल्प चुना है, अपील में चिकित्सा परीक्षण का नतीजा अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा और जिन उम्मीदवारों ने तय समय सीमा के अंदर चिकित्सा अपील का विकल्प नहीं चुना है, उनकी प्रारंभिक चिकित्सा जांच के नतीजे पर ही विचार किया जाएगा।

महत्वपूर्ण –

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा चुने गए पद(पदों) के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार पात्र हैं। यदि उम्मीदवार चुने गए पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा उपयुक्तता पास करने में विफल रहता है, तो उन्हें वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। जो उम्मीदवार ए 2 चिकित्सा मानक वाले पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो वे ध्यान दें कि इन पदों के लिए चिकित्सा मानक बहुत सख्त हैं और इसलिए उन्हें खास तौर पर सलाह दी जाती है कि वे यह पक्का कर लें कि उनकी दृष्टी और शारीरिक मानक, ऊपर बताए गए मेडिकल मैनुअल में बताई गई ज़रूरतों के हिसाब से हों।

4.0 **राष्ट्रीयता/नागरिकता -**

4.1 उम्मीदवार निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:

(i) भारत का नागरिक, या

(ii) नेपाल का मूल निवासी, या

(iii) भूटान का मूल निवासी, या

(iv) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से आया है, या

(v) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आकर भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से आया है।

(v i) यदि उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

4.2 जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र ज़रूरी है, उसे परीक्षा में शामिल होने दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति पत्र तभी दिया जाएगा जब भारत सरकार द्वारा उसे ज़रूरी पात्रता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए।

5.0 **आयु सीमा -**

रिक्ति सारणी में पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा (**18** से **3**3 वर्ष) दिनांक 01/01/2026 के अनुसार मानी जाएगी।

5.1 उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथि के बीच होनी चाहिए (दोनों दिनांक शामिल हैं)

क्र.सं.	आयु वर्ग	जन्म तिथि की ऊपरी सीमा (इससे पहले नहीं)			जन्म तिथि की निचली सीमा (इससे बाद की नहीं)	पैरा 5.2 में दी गई तालिका में समुदाय/ श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार लागू आयु में छूट के लिए पात्र होंगे। **ध्यान दें**:- इस तालिका में एससी /एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन-क्रीमीलेयर) के लिए दी गई जन्मतिथि की सीमा में समुदाय आयु में छूट शामिल है।
		अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	सभी समुदाय एवं श्रेणी के लिए	सभी समुदायों/ श्रेणियों के लिए	
01	18 से 33 वर्ष	02/01/199**3**	02/01/199**0**	**0**2/01/1988	01.01.2008	

5.2 ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु सीमा में नीचे दी गई तालिका के अनुसार विभिन्न श्रेणियों/समुदायों को उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर छूट प्रदान की जाएगी।

क्र.स.	**समुदाय/श्रेणियाँ**	**समुदाय**	**आयु में छूट (ऊपरी आयु सीमा से परे) या अधिकतम ऊपरी आयु**
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	--	03 वर्ष
2	अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी और एसटी)	--	05 वर्ष
3	भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सत्यापन के बाद 06 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो।	अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) (नॉन-क्रीमी लेयर)	06 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		अनु. जाति एवं अनु.ज.जा. (एस.सी. और एस.टी.)	08 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
4	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्लूबीडी)	अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 वर्ष
		ओ.बी.सी. (एनसीएल)	13 वर्ष
		एससी और एसटी	15 वर्ष
5	वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप में समूह ग्रुप 'ग' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'घ' एवं आकस्मिक श्रमिक तथा एवजी पदों पर न्यूनतम तीन वर्ष (निरंतर अथवा खंडित भागों में) कार्यरत है। 40	अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	40 वर्ष की उम्र
		ओ.बी.सी. (एनसीएल)	43 वर्ष की उम्र
		एस.सी और एस.टी	45 वर्ष की उम्र
	रेलवे के अर्ध-प्रशासनिक	-	प्रदान की गई सेवा की अवधि या 05

6	कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों एंव संस्थान में काम करने वाले उम्मीदवार।		वर्ष जो भी कम हो।
7	महिला उम्मीदवार जो कि विधवा, तलाकसुदा या कानूनी रूप से अपने पति से अलग रह रही हैं परंतु पुनर्विवाह नहीं किया है।	अनारक्षित	35 वर्ष
		ओ.बी.सी. (एनसीएल) (नॉन-क्रीमी लेयर)	38 वर्ष
		अनु. जाति एवं अनु. ज.जा. (एस.सी और एस.टी)	40 वर्ष
8	रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स पूरा कर चुके एक्ट अप्रेंटिस उम्मीदवार उन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई/एक्ट अप्रेंटिसशिप कोर्स पूरा किया हुआ है।	अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत उनके द्वारा की गई अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि तक छूट दी जाएगी। (अधिकतम 3 साल)
		ओ.बी.सी. (एनसीएल) (नॉन-क्रीमी लेयर)	उन्हें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत की गई अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि के बराबर छूट दी जाएगी। (ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के लिए उम्र में छूट मिलाकर अधिकतम 6 साल)
		अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एस.सी और एस.टी)	उन्हें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत की गई अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि के बराबर छूट दी जाएगी। (एससी/एसटी श्रेणी) के लिए उम्र में छूट मिलाकर अधिकतम 8 साल)
9	जो उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसशिप 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले प्रारंभ कर चुके हैं।	अनारक्षित	35 वर्ष
		ओ.बी.सी. (एनसीएल) (नॉन-क्रीमी लेयर)	38 वर्ष
		अनु. जाति एवं अनु. ज.जा. (एस.सी और एस.टी)	40 वर्ष
	1. अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी जिसके लिए वह पात्र है। (यह छूटें जोड़ी नहीं जाएंगी)। 2. अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी। 3. अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल उपयुक्तता की शर्तों के अधीन अनारक्षित पीडब्ल्यूबीडी के लिए लागू आयु में छूट दी जाएगी।		

5.3. **महत्वपूर्ण** - उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन में भरी गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। जन्म तिथि में परिवर्तन हेतु किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि में कोई भी अंतर होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.0 **शैक्षणिक योग्यताएँ -**

प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के लिए कृपया अनुलग्नक -ए देखें।

(क) उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 02.03.2026 तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान /विश्वविद्यालय से इस सीईएन के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए।

(ख) जो लोग निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे आवेदन न करें।

(ग) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाये, लेवल-1 के पद के लिए कोर्स पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस/आईटीआई के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी। कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप (CCAA) की जगह ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट:- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों, जैसे कि अनंतिम या नियमित प्रमाण पत्र में जारी होने की दिनांक होनी चाहिए। अगर इन प्रमाण पत्र को जारी करने की दिनांक अधिसूचना की आखिरी दिनांक के बाद की है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के नतीजे की घोषणा की दिनांक वाली समेकित अंकतालिका या सभी सेमेस्टर/वर्षों की अलग-अलग अंकतालिका, जिसमें हर सेमेस्टर/वर्ष के नतीजे की घोषणा की दिनांक हो, जमा करनी होगी। अगर इनमें से किसी भी प्रमाण पत्र में दिनांक नहीं है, तो दस्तावेज सत्यापन के समय बोर्ड/ विश्वविद्यालय/संस्थान से नतीजे की घोषणा की दिनांक वाला एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.0 परीक्षा शुल्क-

इस सीईएन में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नीचे दी गई उनकी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:-

क्र.सं.	**अभ्यर्थियों की श्रेणियाँ**	शुल्क (रु.)
1	सभी उम्मीदवारों के लिए(नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लेखित शुल्क रियायत श्रेणियों को छोड़कर) 500/- रुपये के इस शुल्क में से 400/- रुपये की राशि, प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में उपस्थित होने पर, बैंक शुल्क काटकर उचित समय पर वापस कर दी जाएगी।	500/-
2	वे सभी उम्मीदवार जो कि एससी,एसटी, भुतपूर्व-सैनिक पीडब्ल्युबीडी,महिला, ट्रांसजेंडर,अल्पसंख्यक समुदाय तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित हैं। **(अभ्यर्थियों के लिए सावधानी:- (**ईबीसी को ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए**)** 250/- रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क में कटौती करके उचित समय पर वापस कर दिया जाएगा।	250/-
नोट:-	केवल प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ही ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क की राशि वापसी मिलेगा।	

*** आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग(ईबीसी) श्रेणी के तहत छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी:** आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग(ईबीसी) श्रेणी के तहत छूट का दावा करने से पहले कृपया इस सीईएन के पैराग्राफ 7.3 को ध्यान से पढ़ें। शुल्क रियायत चाहने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय एक वैध दस्तावेज - जैसे कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग(ईबीसी) प्रमाण पत्र (अनुलग्नक III ए) या बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी या केंद्रीय सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग(ईबीसी) प्रमाण पत्र (अनुलग्नक III ए) ,बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी या

केंद्रीय सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी किया **गया प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी किया गया हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा।** ऑन लाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार द्वारा सभी संबंधित जानकारियाँ निश्चित रूप से भरी जानी चाहिए तथा उनकी मूल प्रतियाँ दस्तावेज सत्यापन (डी.वी.) के समय प्रस्तुत करनी होगी।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) प्रमाण पत्र (अनुलग्नक III ए), बीपीएल कार्ड,या इज्जत एमएसटी जो इस सीईएन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जो कि 02.03.2026 है को या उससे पहले जारी किए गए हों, पेश करने में असफल रहते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

7.1 **शुल्क के भुगतान के तरीके** -

(क) केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ख) उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।

(ग) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और सीधे ही रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 **अल्पसंख्यकों** में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और जोराष्ट्रीयन (पारसी) शामिल हैं, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 02.03.2026 तक प्राप्त संशोधन/विलोपन/समावेशन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ पत्र : परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ लेने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ पत्र (अनुलग्नक IV के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा कि वे उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित हैं, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

7.3 **आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी)** उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹50,000/- से कम है और रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (उपरोक्त पैरा 7.0 के अनुसार), इसके लिए उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए:-

(क) जारीकर्ता प्राधिकारी के पत्र शीर्ष (लेटरहेड) पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-III(ए) के अनुसार) में आवेदन की दिनांक पर वैध आय प्रमाण पत्र। निम्नलिखित प्राधिकरण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

1. जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
2. अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान संसद सदस्य।
3. राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहां ये सांसद सामान्यतः रहते हैं।
4. देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केंद्रीय मंत्री

(या)

(ख) किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या कोई अन्य प्रमाण पत्र।

(या)

(ग) रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी.

सभी ईबीसी उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड/इज्जत एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरने होंगे और दस्तावेज सत्यापन के समय इसे मूल रूप में भी जमा करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

नोट:

1. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं। इस अनुच्छेद के तहत परिभाषित आर्थिक रूप से

पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का उम्मीदवार केवल शुल्क में छूट का हकदार है, नौकरी में आरक्षण का नहीं।

2. अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (जो कुछ राज्य सरकारें जारी करती हैं) को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग प्रमाण पत्र के बदले स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.4 **परीक्षा शुल्क की वापसी (प्रथम चरण की सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्थियों के लिए):**

क. परीक्षा शुल्क की वापसी (जहाँ लागू हो, बैंक शुल्क काटकर) केवल उम्मीदवार के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ही जमा की जाएगी।आवेदन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने आधार नंबर को सत्यापित(वैरिफाई) करना होगा। सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाने पर, आधार नंबर से पहले से जुड़ा हुआ बैंक खाता पुष्टि के लिए स्वतः दिख जाएगा, जिसका उपयोग शुल्क राशि की वापसी के लिए किया जाएगा। यदि कोई बैंक खाता आधार नंबर से लिंक नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवार को अपना आधार नंबर बैंक खाते से तुरंत लिंक करने के लिए एनपीसीआई पोर्टल की तरफ पुर्नरनिर्देशित (रिडायरेक्टेड) किया जाएगा और उसके बाद प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवेदन पृष्ठ (एप्लीकेशन पेज) पर वापस भेज दिया जाएगा।जिन उम्मीदवारों के पास बैंक खाता नहीं है, वे उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवार के किसी सदस्य का आधार-लिंक्ड बैंक खाता उपलब्ध करा सकते हैं।

ख. जिन उम्मीदवारों का आवेदन अधूरा है, जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है, या जिनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, उनके द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

ग. एक वैध और चालू बैंक खाते से आधार को लिंक करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उम्मीदवार की है। आरआरबी गलत, अमान्य या निष्क्रिय बैंक खाता लिंकेज से उत्पन्न किसी भी पत्राचार या दावे पर विचार नहीं करेगा।

घ. आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में या उम्मीदवार द्वारा लिंक किए गए आधार-लिंक्ड बैंक खाते के निष्क्रिय पाए जाने की स्थिति में परीक्षा शुल्क की कोई वापसी स्वीकार्य नहीं होगी।

8.0 **उर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण** -

यह सीईएन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) (ओबीसी-एनसीएल) के लिए ऊर्ध्वाधर(वर्टीकल) आरक्षण प्रदान करता है, जहां भी लागू और स्वीकार्य है, और मौजूदा नियमों के तहत माँगकर्ता रेलवे द्वारा सूचित किया गया है। (विवरण के लिए परिशिष्ट बी देखें)।

ध्यान दें:

- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवार जहाँ भी लागू और मान्य हो, वहाँ नौकरी में आरक्षण के लिए पात्र हैं।
- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवार (जैसा कि ऊपर पैरा 7.3 में बताया गया है) इस आधार पर नौकरी में आरक्षण का हकदार नहीं है।

8.2 समुदाय की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी यानी अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (अनारक्षित के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन)। हालाँकि, विशिष्ट समूहों (जैसे, एससी, एसटी, ओबीसी (एनसीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उस समुदाय/श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी। **केवल वे समुदाय जो भारत सरकार द्वारा एससी, एसटी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, आरक्षण के लिए पात्र हैं।**

8.3 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा

अनुलग्नक -I (एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए), अनुलग्नक- II (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और अनुलग्नक- III (ईडब्ल्यूएस) में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

8.4 "**क्रीमी लेयर" में आने वाले ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं**, उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के रूप में माना जायेगा, जो अनारक्षित उम्मीदवारों पर लागू आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

8.5 ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद जारी किया गया ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक II) में प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यह प्रमाण पत्र इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी किया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि और प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का विवरण देना अनिवार्य है।ओबीसी उम्मीदवार की जाति ओबीसी की वर्तमान अद्यतन केंद्रीय सूची (http://www.ncbc.nic.in) में सूचीबद्ध होनी चाहिए।

दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के दौरान, आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को ऊपर बताए गए विवरण के अनुसार ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही अनुलग्नक IIA में दिए गए प्रारूप में एक स्व-घोषणा भी देनी होगी, जिसमें यह कहा गया हो कि वे "आवेदन की अंतिम तिथि पर क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं।"ऐसा न करने पर आरक्षण (ओबीसी-एनसीएल के रूप में) के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उन्हें अनारक्षित (यूआर) उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि वे यूआर उम्मीदवारों पर लागू होने वाली आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

8.6 ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि "यह प्रमाणित करने के लिए है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ओएम संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08/09/93 और भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ओएम द्वारा संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। क्रमांक 36033/1/2013-स्था. (Res.) दिनांक 13/09/2017*'' {*आगे संशोधन यदि कोई हो, इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हुआ हो) ।

8.7 **कृपया ध्यान दें**: ओबीसी उम्मीदवार जो राज्य सूची में शामिल हैं लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं (http://www.ncbc.nic.in की नवीनतम सूची के अनुसार) आरक्षण का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं।

8.8 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डब्ल्युपी(सी)नं. 1052/2021 में सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के बीच दिनांक 21.02.2022 के निर्णय के आलोक में, जो उम्मीदवार (ए) मूल रूप से लोहार/लोहारा/लोहरा जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य के हैं या बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से केवल अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें अपना नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (जो (ए) एसटी का दावा करने के लिए सीईएन के अनुलग्नक I के अनुसार बिहार सरकार के फॉर्म -II के पिछले संदर्भ के साथ, या (बी) ओबीसी-एनसीएल का दावा करने के लिए सीईएन के अनुलग्नक II के अनुसार बिहार सरकार के फॉर्म - VIIA के पिछले संदर्भ के साथ) जमा करना होगा, जो केवल दिनांक 01.04.2023 के बाद जारी किया गया हो और यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक पर भी वैध होना चाहिए, ताकि दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र में बताए अनुसार एसटी / ओबीसी-एनसीएल के रूप में उनके दावे को प्रमाणित किया जा सके।

8.9 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में: डॉ. भीमराव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य और अन्य के बीच 2017 की सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 18802, निर्णय दिनांक 15.07.2024, जिन उम्मीदवारों के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले जारी एसटी/एससी का सामुदायिक प्रमाण पत्र है और (ए) मूल रूप से पान/पनहर/स्वासी/तांती-ततवा (PAN/ PANR/ SAWASI/ TANTI-TATWA) से संबंधित हैं। तांती-ततवा जाति मूल रूप से, और (बी) बिहार राज्य से संबंधित है या अस्थायी रूप से / स्थायी रूप से बिहार राज्य से केवल अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो गई है, उन्हें नवीनतम जाति प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करना होगा जो दिनांक 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किया गया है, जिसमें उनके समुदाय और

जाति को विधिवत संशोधित / जोड़ा गया है। उनके समुदाय और जाति/जनजाति को उनकी संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार भर्ती के लिए माना जाएगा, इन उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से नया जाति प्रमाण पत्र लाना होगा जो दस्तावेज़ सत्यापन के समय दिनांक 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किया गया हो, अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा।

8.10 **महत्वपूर्ण**: किसी उम्मीदवार की समुदाय या श्रेणी की स्थिति, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में घोषित किया गया है, आरक्षण लाभ के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करेगी। किसी भी कारण से सामुदायिक स्थिति में बाद में होने वाले किसी भी बदलाव/परिवर्तन को इस भर्ती प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।

8.11 यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे जिस आरक्षण का दावा कर रहे हैं उसके लिए पात्र हैं। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेजों की प्रामाणिकता सत्यापित होने तक उनकी उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।

8.12 उम्मीदवारों को सचेत किया जाता है कि यदि चयन के किसी भी स्तर पर एससी/एसटी/ओबीसी/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति का कोई धोखाधड़ीपूर्ण दावा या किसी अन्य लाभ का दुरुपयोग सामने आता है तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इस तरह की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उम्मीदवार को सभी रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की परीक्षाओं से स्थायी रूप से वंचित/प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उनके विरुध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

8.13 **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण-**

वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें EWS के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु EWS के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इस आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी आय के स्रोत अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से होने वाली आय भी शामिल होगी। इस सीईएन संख्या 09/2025 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 होगा क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 20.02.2026 है। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या वे उसके मालिक हैं, उन्हें पारिवारिक आय की परवाह किए बिना, ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा:-

1. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
2. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
3. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
4. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थान/शहरों में कोई भी संपत्ति है या वे उसके मालिक हैं, उन संपत्तियों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे। ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में जारी आय और संपत्ति प्रमाण केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

(क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(ख) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट

(ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो

(घ) उस क्षेत्र का उपविभागीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से निवास कर

रहा है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित स्थिति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और राज्य भरना होगा। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उनकी आय और परिसंपत्तियों के आधार पर) भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन यदि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (अनारक्षित) स्थिति के तहत विचार किया जाएगा।

9.0 **क्षैतिज (होरिजोंटल) आरक्षण –**

9.1 इस सीईएन में रेलवे के प्रतिष्ठानों में भूतपूर्व सैनिकों (एक्सएसएम), एक्ट अप्रैंटिस (सीसीएए) का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले उम्मीदवारों और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए उनकी समुदाय की परवाह किए बिना क्षैतिज (होरिजोंटल) आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।

9.2 रिक्ति तालिका में जहां भी भूतपूर्व सैनिक, सीसीएए और दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्तियां दी गई हैं, वे अलग से नहीं हैं बल्कि कुल रिक्तियों में शामिल हैं।

9.3 जहां कहीं भी पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्तियों को बैकलॉग रिक्तियों के रूप में (समुदाय के किसी भी संकेत के बिना) अलग से दर्शाया गया है ये रिक्तियां अतीत की बैकलॉग रिक्तियां हैं और इस सीईएन में दर्शायी गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में शामिल नहीं हैं।

9.4 भूतपूर्व सैनिक (एक्सएसएम), उम्मीदवार उन पदों की नियमित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग से कोई रिक्तियां आरक्षित नहीं हैं। इन पदों के लिए भी वे भूतपूर्व सैनिक के लिए लागू आयु और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

9.5 किसी विशेष प्रकार की दिव्यांगता वाले दिव्यांग उम्मीदवार उन पदों की नियमित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जिनमें दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अलग से कोई रिक्तियां आरक्षित नहीं हैं, बशर्ते कि वह पद उस दिव्यांगता के लिए उपयुक्त माना गया हो। इन पदों के लिए भी वे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए लागू आयु और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

9.6 यदि नियमित (पीडब्ल्यूबीडी) रिक्तियों को उस प्रकार की दिव्यांगता के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता या किसी अन्य पर्याप्त कारण से नहीं भरा जा सकता है जिसके लिए रिक्ति आरक्षित है, तो इन्हें नहीं भरा जाएगा और इन्हें अगले भर्ती चक्र में बैकलॉग रिक्ति के रूप में आगे ले जाया जाएगा।

हालाँकि, इस सीईएन में निर्दिष्ट बैकलॉग (पीडब्ल्यूबीडी) पदों के संबंध में, यदि उन विशिष्ट दिव्यांगताओं के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं जिनके लिए पद आरक्षित हैं, तो ऐसे पद उन अन्य दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों से भरे जा सकते हैं जिनके लिए पद उपयुक्त घोषित किया गया है। यदि किसी भी ऐसी दिव्यांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार की अनुपलब्धता होती है, जिनके लिए पद उपयुक्त माना गया है, तो ये पद योग्यता क्रम के अनुसार सामान्य (जो पीडब्ल्यूबीडी नहीं हैं) उम्मीदवारों से भरे जाएंगे।

9.7 सीसीएए उम्मीदवार जो कि रेलवे संस्थान में प्रशिक्षित हुए हैं। वे किसी भी पद(पदों)के लिए आवेदन कर सकते हैं। भले ही उनके लिए रिक्तयाँ अलग से निर्धारित न हों। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु सीमा के छूट के लिए पात्र होंगे।

10.0 **भूतपूर्व सैनिक –**

10.1 भूतपूर्व सैनिक शब्द से तात्पर्य वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (चाहे लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) में सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना और अर्धसैनिक बल में सेवा की हो।

तथा

क) ऐसे उम्मीदवार जो या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं या सेवामुक्त हो गए हैं, चाहे वे उनके स्वयं के अनुरोध पर हो या नियोक्ता द्वारा उसकी पेंशन अर्जित करने के बाद सेवामुक्त किए गए हों;(या)

ख) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; (या)

ग) जिसे संस्थान में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)

घ) जिसे नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, उनके स्वयं के अनुरोध के अलावा, या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और जिसे अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी) दी गई हो और जिसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर संयुक्त सेवा या अर्हक सेवा के खंडित अवधि के लिए पेंशन धारक; (या)

ड) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त किए गए हैं और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई; (या)

च) वे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पूर्व छह माह से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; (या)

छ) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता कर्मी; (या)

ज) चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त या सेवामुक्त किए गए भूतपूर्व भर्ती कर्मी जिन्हें 01.02.2006 से चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई है।

10.2 केंद्र सरकार की संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत वे व्यक्ति, जो सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं होगी जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते। तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कर्मी, जो इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त हो जाते हैं, वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित नहीं किए गए पदों , दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं हालांकि, इस केंद्रीय सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 02.03.2026 तक उनके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। सेवारत रक्षा कर्मियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनुलग्नक-VI (ए) के अनुसार सेवामुक्ति की संभावित तिथि सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा।

क) यदि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक का समय लगता है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा कि वह स्वयं इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्त हुआ है, अर्थात, दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि तक, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस पर विचार किया जा सकता है।

ख) सशस्त्र सेवा कार्मिक जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र बलों में सेवारत रहे हैं, उन्हें अनुलग्नक VI (ए) के अनुसार "सेवा से सेवामुक्ति की संभावित तिथि सहित रोजगार प्रमाण पत्र" जमा करना होगा, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य है। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए, दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी को अनुलग्नक VI के अनुसार एक स्व-घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

10.3 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग'/पूर्ववर्ती समूह 'घ' में उच्च ग्रेड या संवर्ग में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में केवल छूट का लाभ मिलेगा। ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

10.4 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल सेवा में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी आगामी शासकीय सेवा के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, बशर्ते कि भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल सेवा में शामिल होते ही, इस रोजगार सूचना के अंतर्गत आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनपत्र दें। इस घोषणा की पावती प्रति, सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

10.5 भूतपूर्व सैनिकों का चिकित्सा मानक भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड-1 के पैरा 534 के अनुसार होगा, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

11.0 **मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) -**

11.1 दिव्यांगजनों के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता को प्रत्येक पद के सामने, "मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के अंतर्गत, उप- दिव्यांगता के विवरण के साथ, पद मापदंड तालिका (परिशिष्ट- ए) में दर्शाया गया है।

मानक दिव्यांगताएं: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी) के अनुसार, मानक दिव्यांगताएं निम्नलिखित हैं:-

(क) अंधापन और कम दृष्टि) (VI)

(ख) बधिर और कम सुनने की क्षमता (HI)

(ग) मस्तिष्क पक्षाघात (LD) ठीक हो चुके कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलने-फिरने में अक्षमता;

(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;

(ङ.) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचाने गए पदों में बहरापन-अंधापन सहित खंड ए से डी के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक दिव्यांगताएं(एमडी) ।

नोट: अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भारत सरकार की वेबसाइट https://depwd.gov.in/acts/ पर जाएं और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक भागों की जांच करें।

11.2 **विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा**: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा इस प्रकार है:

1. शारीरिक अक्षमता –

अ) **गति-संबंधी अक्षमता** (किसी व्यक्ति की स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता जो मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों के विकार के कारण होती है), जिसमें शामिल हैं—

(क) "**कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति**" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है, लेकिन निम्न से पीड़ित है—

(i) हाथों या पैरों में संवेदना का आभाव के साथ-साथ आँख और पलक में संवेदना का आभाव और पक्षाघात, लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;

(ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, लेकिन हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता का होना जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न करने में सक्षम हो;

(iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति और साथ ही बढ़ती उम्र जो उसे कोई भी लाभदायक व्यवसाय करने से रोकती है, और "कुष्ठ रोग से मुक्त" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ख) "**सेरेब्रल पाल्सी**" का अर्थ है शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी अवस्थाओं का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है;

(ग) "**बौनापन**" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊँचाई 4

फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(घ) "मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी" एक प्रकार का आनुवंशिक मांसपेशी रोग है जो शरीर की गतिमान मांसपेशियों को कमजोर कर देता है। मल्टीपल डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्तियों के जीन में गलत और अपूर्ण जानकारी होती है, जिसके कारण वे स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन नहीं बना पाते हैं। इसकी विशेषता है कंकाल की मांसपेशियों में लगातार कमजोरी आना, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों का क्षय होना।

(ड) "एसिड हमले के पीड़ित व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंककर किए गए हिंसक हमलों के कारण विकृत हो गया हो।

(च) **रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई)** जिसमें कोई तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता न हो। तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के बिना यानि एसडी/एस आई वाले व्यक्ति लोकोमोटर विकलांगता के अंतर्गत विकलांगता की सभी उपश्रेणियों के लिए उपयुक्त हैं। एसडी/एसआई वाले व्यक्ति जिनके साथ अंग संबंधी शिथिलता है, उन्हें लोकोमोटर दिव्यांगता की संबंधित उप-श्रेणी अर्थात ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए, के अंतर्गत रखा जाएगा, जैसा भी मामला हो।

ब) दृष्टि क्षीणता

(क) "**अंधापन**" का अर्थ ऐसी स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति में सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो -

(i) दृष्टि का पूर्ण अभाव; या

(ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम; या

(iii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 10 डिग्री से कम का कोण बनाती है।

(ख) "**कम दृष्टि**" से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्: -

(i) बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम या 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक हो; या

(ii) दृष्टि क्षेत्र का सीमित होना जो 40 डिग्री से कम और 10 डिग्री तक का कोण बनाता हो।

स) **श्रवण बाधिता**

(क) "**बधिर(बहरापन)**" का अर्थ है, ऐसे व्यक्ति से है जिनके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण का अभाव हो;

(ख) "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है, ऐसे व्यक्ति से है जिनके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी तक सुनने की क्षमता का अभाव हो;

ग) **'वाक् और भाषा अक्षमता'** का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिसमें गला संबंधी लार्यनजेक्टोमी या स्वरलोप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. **बौद्धिक दिव्यांगता**, एक ऐसी स्थिति है जिसमें बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखना, समस्या समाधान) और अनुकूलनशील व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाएं होती हैं, जो दैनिक, सामाजिक और व्यावहारिक कौशलों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं, जिनमें शामिल हैं—

(क) "**विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता**" से तात्पर्य ऐसी स्थितियों के एक विषम समूह से है जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संसाधित (प्रोसेस) करने का अभाव होता है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी (उच्चारण) करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक अक्षमताएँ, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात; जैसी स्थितियां शामिल हैं;

(ख) **"ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर(विकार)"** से तात्पर्य है एक तंत्रिका-विकासात्मक (न्यूरो-डेवलपमेंटल) स्थिति जो आमतौर पर जीवन के प्रारंभिक तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी रीति-रिवाज या व्यवहार से जुड़ी होती है।

3. **मानसिक व्यवहार—"मानसिक बीमारी"** से तात्पर्य है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास (ओरिएनटेशन) या स्मृति का एक गंभीर विकार। जो निर्णय लेने, व्यवहार करने, वास्तविकता को पहचानने या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से बाधित कर देती है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति को दर्शाती है, विशेष रूप से जो बुद्धि के निम्न स्तर के लक्षण को बतलाती है।

4. **दिव्यांगता के कारण -**

(अ) दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी अवस्थाएं, जैसे -

(i) **"मल्टीपल स्क्लेरोसिस"** से तात्पर्य है एक सूजनयुक्त, तंत्रिका तंत्र रोग से है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु (स्पाइनल कोर्ड) की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु (एक्शन) के चारों ओर स्थित माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे माइलिन का विघटन (डिसऑल्यूशन) होता है तथा मस्तिष्क और मेरुरज्जु (स्पाइनल कोर्ड) की तंत्रिका कोशिकाओं की एक-दूसरे से संवाद करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) **"पार्किंसंस रोग"** से तात्पर्य है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग, जिसमें कंपन, मांसपेशियों में अकड़न और धीमी, अस्पष्ट गति होती है, जो मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है और मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अध:पतन (डीजनरेशन) और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़ा होता है।

(ब) **रक्त विकार –**

(i) **"हीमोफीलिया"** से तात्पर्य है एक वंशानुगत रोग से है, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं द्वारा अपने पुरुष बच्चों में संचारित होता है, जिसमें रक्त के सामान्य थक्के जमने की क्षमता में कमी या कमी होती है जिससे एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) **"थैलेसीमिया"** से तात्पर्य है वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती है।

(iii) **"सिकल सेल रोग"** से तात्पर्य है एक रक्तसंलायी (हीमोलिटिक) विकार जिसमें दीर्घकालिक रक्ताल्पता (एनीमिया), दर्दनाक घटनाएँ और संबंधित ऊतक एवं अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताएँ होती हैं; "रक्तसंलायी" (हीमोलिटिक) का संबंध लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश से है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन का घातक स्राव होता है।

5. **बहु-दिव्यांगता-** (उपर्युक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से एक से अधिक) जिनमें बहरापन, अंधापन शामिल है, से तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति की सुनने और देखने संबंधि क्षति का संयोजन हो और जिसके कारण बातचीत करने, बौद्धिक विकास और शिक्षा संबंधी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। बहु-विकलांगता (एम.डी.) श्रेणी के अंतर्गत, केवल वे उम्मीदवार पात्र हैं जिनकी व्यक्तिगत दिव्यांगताओं का संयोजन स्वतंत्र रूप से पद के लिए पात्रता प्रदान करता हो।

6. कोई अन्य श्रेणी जो केंद्र सरकार द्वार अधिसूचित हो।

11.3 आरक्षण के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता की डिग्री और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी: केवल ऐसे व्यक्ति ही पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के पात्र होंगे जो संबंधित बेंचमार्क दिव्यांगता के 40 प्रतिशत से कम नहीं हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जिन्होंने छूट और/या आरक्षण का लाभ उठाया है और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 की दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 की राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) के नियम 18(1) के प्रपत्र V और VI के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूपों के लिए अनुलग्नक V(A) और अनुलग्नक V(B) देखें। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 (निरस्त)

के तहत जारी मौजूदा दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध बने रहेंगे।

11.4 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी) ध्यान दें कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार उपयुक्त पीडब्ल्यूबीडी उप-श्रेणी अर्थात् एलडी/एचआई/वीआई/एमडी का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में पीडब्ल्यूबीडी उप-श्रेणी में बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवेदन पत्र में घोषित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र, अपनी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार यह भी ध्यान दें कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-DDIII दिनांक 04.01.2021 में दर्शाए गए दिव्यांगता/दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे एओ, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यु, एएवी, एसडी, एसआई आदि) का प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

इसके अलावा, दिव्यांग विभाग (डीई पीडब्ल्यूडी) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.12.2025 के अनुसार, अस्थायी दिव्यांगता की श्रेणी के अंतर्गत "सुधार की संभावना" वाली श्रेणी में आने वाली दिव्यांगता वाले उम्मीदवार आरक्षण के पात्र नहीं हैं। वहीं, "प्रगतिशील, गैर-प्रगतिशील या सुधार की संभावना नहीं" वाली श्रेणी में आने वाली दिव्यांगता वाले उम्मीदवार आरक्षण के पात्र माने जाएंगे।

11.5 चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन के समय रेल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा और केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली और अन्य मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप होंगे। जैसा भी प्रकरण हो।

11.6 जब रिक्तियाँ दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हों और दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक श्रेणी, जैसे कि अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग-असहाय वर्ग, के न्यूनतम अर्हक प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ण पैनल नहीं बनाया जा सकता है, तो समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंकों में 2 अंक तक की छूट दी जाएगी।

11.7.0 स्क्राइब की सहायता और प्रतिपूरक समय के लिए दिशानिर्देश –

11.7.1 दृष्टिहीनता, गति-संचालन दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति ऐसा चाहे तो उसे स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

11.7.2 मानक दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, स्क्राइब की सुविधा की अनुमति किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। अभ्यर्थी अनुलग्नक V(जी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(डी) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

11.7.3 दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबी) जिनकी विकलांगता 40% से कम है और जो (आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक वी(ई) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक वी(एफ) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए लेखक की सहायता ले सकते हैं।

11.7.4 एक-आंख वाले सभी उम्मीदवार और जिन उम्मीदवारों की दृश्य दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

11.7.5 उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 या 11.7.3 के तहत स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवार और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।

11.7.6 पात्र स्क्राइब को अपने खर्चे पर स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

11.7.7 जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है:

(क) यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in पर रे.भ.बो. के साथ पंजीकृत है (कृपया स्क्राइब के पंजीकरण से संबंधित पैरा 11.7.8 देखें)

(ख) संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद उपलब्ध 5-दिवसीय अवधि के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग ऑन करें, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके।

(ग) अपने स्क्राइब का वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) नंबर दर्ज करें। आपके स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

(घ) स्क्राइब की पुष्टि के लिए स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।

11.7.8 स्क्राइब के लिए पंजीकरण

क. **कोई भी व्यक्ति जो स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहता है, उसे आरआरबी के साथ** rrbapply.gov.in **पर एक खाता बनाना होगा और अपने खाते के विवरण का उपयोग करके वहां स्वयं को स्क्राइब के रूप में पंजीकृत करना होगा।** सफल पंजीकरण के बाद, एक पंजीकरण संख्या (ओटीआर नंबर) जेनरेट की जाएगी और इसे स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।

ख. जो उम्मीदवार उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में वर्णित अनुसार स्क्राइब के लिए पात्र हैं और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा। जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है, उन्हें संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की जाने वाली पाँच दिवसीय अवधि के दौरान अपना स्क्राइब विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और स्क्राइब का ओटीआर नंबर दर्ज करना होगा। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवार को स्क्राइब से यह ओटीपी प्राप्त करना होगा और स्क्राइब की पुष्टि के लिए इसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

ग. अभ्यर्थी के साथ आने वाले स्क्राइब को एक अलग ई-बुलावा पत्र जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के दौरान इस्तेमाल किया गया मूल और वैध पहचान प्रमाण साथ लाना होगा।

11.7.9 किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवार निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दे।

क. कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के पात्र है/हैं। कोई भी उम्मीदवार जो उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के पात्र नहीं है, और ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का उपयोग करता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्क्राइब का उपयोग करने वाले किसी भी उम्मीदवार को, यदि वह पहले से ही रेल सेवा में है, बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।

ख. कोई भी व्यक्ति rrbapply.gov.in पर रे.भ.बो. के साथ स्क्राइब के रूप में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य करेगा/करेगी।

ग. एक स्क्राइब एक ही परीक्षा में एक से अधिक उम्मीदवारों को सहायता नहीं देगा/देगी।

घ. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार उसी सीईएन में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता/सकती है। स्क्राइब और उम्मीदवार दोनों को इस आशय का एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने उसी परीक्षा के लिए स्क्राइब के रूप में किसी अन्य उम्मीदवार की सहायता की है, तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ङ उम्मीदवार के स्वयं के स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।

च. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्राइब के संबंध में दी गई जानकारी सही हो। यदि परीक्षा के

दौरान या उसके बाद किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाया है और स्क्राइब प्रतिरूपणकर्ता (इमपर्सोनेटर) पाया जाता है और/या स्क्राइब या उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है, तो इसके लिए उम्मीदवार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, और उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

छ. परीक्षा के दौरान उम्मीदवार द्वारा लाए गए स्क्राइब के किसी भी कदाचार के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा।

ज. परीक्षा के दौरान, किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं प्रश्नों का उत्तर दे रहा है/हल कर रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवार, जो स्क्राइब की सेवाएँ ले रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षा प्रशासक कार्मिक द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं।

झ. परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब का परिवर्तन:-

- **परीक्षा स्थल पर स्क्राइब के परिवर्तन की सामान्यतः अनुमति नहीं है।** हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, विधिवत कारण दर्ज करके परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है। नया स्क्राइब रे.भ.बो. में स्क्राइब के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) प्रिंटआउट की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, नए स्क्राइब को पैरा 11.7.9 के तहत स्क्राइब के लिए लागू अन्य सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को "स्क्राइब परिवर्तन" फॉर्म और 'स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र' फॉर्म में विवरण भरना होगा।
- यदि ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं, तो रे.भ.बो. अपने विवेक से एक स्क्राइब नियुक्त कर सकता है, बशर्ते उम्मीदवार अभी भी स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो। रे.भ.बो. द्वारा प्रदान की गई स्क्राइब की योग्यता सीईएन की न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे उच्चतर होगी।

11.7.10 पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अनुसार, स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के पात्र उम्मीदवार, यदि चाहें तो स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय का लाभ उठा सकते हैं।

क. उपर्युक्त पैराग्राफों में निर्दिष्ट अनुसार, स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

ख. पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित उम्मीदवार, जो स्क्राइब के उपयोग के पात्र हैं, लेकिन इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें भी परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जा सकता है, यदि वे ऐसा चाहें।

11.7.11 स्क्राइब की नियुक्ति संबंधी शर्तें, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी।

12.0 **रेलवे अधिनियम प्रशिक्षु-**

12.1 रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एनएसी) प्राप्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके अधिनियम शिक्षुओं (सीसीएए) में से भरी जाने वाली रिक्तियों को रिक्ति तालिका में अलग से दर्शाया गया है। यह मानक दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्युबीडीएस) और भूतपूर्व सैनिकों के मामले की तरह क्षैतिज (होरिजोंटल) आरक्षण के स्वरूप में होगा। हालांकि, दिव्यांगजनों के मामले के विपरीत, इस व्यवस्था के तहत भरी जाने वाली रिक्तियों को आगे नहीं ले जाया जाएगा।कमी होने की स्थिति में, रिक्त पदों को संयुक्त योग्यता सूची में मौजूद अन्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

12.2 इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी 02.03.2026 शिक्षुता पूरी करने की अंतिम तिथि होगी।किसी उम्मीदवार को अधिनियमित शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त तभी माना जाएगा, जब वह ऑनलाइन आवेदन

की अंतिम तिथि यानी 02.03.2026 से पहले एनसीवीटी परीक्षा में उपस्थित हो चुका हो तथा जिसका परिणाम अभी तक घोषित न हुआ हो। हालांकि, उम्मीदवार को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान एनसीवीटी द्वारा जारी एनएसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा वह इस प्रावधान के तहत सीसीएए (रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित) के रूप में आरक्षण के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

12.3 यह पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षु (एक्ट अप्रेंटिस) किसी भी रेलवे प्रतिष्ठान के आरआरबी/आरआरसी में आवेदन करने के पात्र होंगे। जिसमें उन्हें अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन प्रशिक्षित किया गया है।

12.4 पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अधिनियम प्रशिक्षुओं (एक्ट अप्रेंटिस) को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए उचित भारअंक दिया जाएगा, ताकि सीबीटी के संचालन के बाद अंतिम योग्यात सूची तैयार करने में एक तिहाई अंक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित हों।

12.5 यदि एनसीवीटी अंक जोड़ने के बाद प्राप्त अंक सीबीटी में प्राप्त अंकों से कम हैं, तो अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त दोनों अंकों में से उच्चतर/सर्वश्रेष्ठ अंक को मान्यता दी जाएगी।

12.6 इस पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।

12.7 रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस (सीसीएए) पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन आवेदन के दौरान एनसीवीटी परीक्षा से संबंधित अपने अंकों का विवरण अपलोड करना होगा।

12.8 यदि कोई उम्मीदवार अपने एनसीवीटी अंक दर्ज करने में विफल रहता है, तो भार अंकों का लाभ (वेटेज) नहीं दिया जाएगा।

आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष सूचना:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रिमी लेयर(एनसीएल)/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/सीसीएए (रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित) के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ लेने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों/सीईएन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं तथा उनके पास नियमों/सीईएन में निर्धारित अनुसार अपने दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए।

13.0 **वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) –**

रेल या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (इंडक्शन प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि से गुजर रहे उम्मीदवारों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे रे.भ.बो. को आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/पैनलीकरण/नियुक्ति के दौरान/उस समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना पूर्णतः उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी/पैनलीकरण/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी।

नोट: उम्मीदवार ध्यान दें कि यदि संबंधित रे.भ.बो. को उनके नियोक्ता से कोई पत्र प्राप्त होता है, जिसमें उम्मीदवार को परीक्षा के लिए आवेदन करने/उसमें सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।

14.0 **भर्ती प्रक्रिया –**

(1) उम्मीदवार को किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल एक ही आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करना अपेक्षित है।

(2) भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:-

(i) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)

(ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)

(iii) दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और

(iv) चिकित्सा परीक्षण (एमई)

(3) सीबीटी, पीईटी, डीवी, एमई या किसी अन्य अतिरिक्त गतिविधियों की तिथि की जानकारी पात्र उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआरसी वेबसाइटों, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से उचित समय पर दी जाएगी।

(4) किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और समय-सीमा में परिवर्तन करने का कोई भी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट –

उम्मीदवारों को कैलकुलेटर और अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए वे परीक्षा परिसर के अंदर ऐसी कोई भी वस्तु न लाएं। यदि किसी उम्मीदवार के पास मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या वायरलेस संचार का कोई अन्य साधन, चाहे वह चालू अवस्था में हो या बंद अवस्था में, पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उसे आरआरबी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक से शहर और तिथि संबंधी सूचनाएं, ई-बुलावा पत्र और यात्रा प्राधिकार (जहां भी लागू हो) डाउनलोड करने होंगे। उम्मीदवार ई- बुलावा पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और उनका पूर्णतया पालन करें। निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से भलिभांति परिचित हों, इसके लिए उम्मीदवारों को आरआरबी/ आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर मॉक/अभ्यास परीक्षाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

14.1 **कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) –**

सभी पात्र उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआरसी की वेबसाइटों से डाउनलोड किए गए ई-बुलावा पत्र के अनुसार निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के लिए उपस्थित होना होगा। ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने से संबंधित जानकारी वेबसाइटों के साथ-साथ उम्मीदवारों की पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से भी भेजी जाएगी।

सीबीटी परीक्षा की अवधि और प्रश्नों की संख्या नीचे दी गई है:

परीक्षा की अवधि (मिनटों में)	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का)				प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य विज्ञान	गणित	सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले	
90*	25	25	30	20	100

*स्क्राइब के लिए पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी, चाहे वे स्क्राइब का उपयोग करें या न करें।

ऊपर दी गई तालिका में खंडवार वितरण केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ भिन्नता हो सकती है। नकारात्मक अंकन होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे।

विभिन्न समुदायों में शॉर्टलिस्टिंग के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत: अनारक्षित-40%, ईडब्ल्यूएस-40%, अ.पि.व. (गैर-क्रीमी परत)-30%, अ.जा.-30%, अ.ज.जा.-30% होगा।दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के मुकाबले दिव्यांगजनों की कमी होने की स्थिति में, पात्रता के लिए अंकों के उक्त प्रतिशत में 2 अंकों की छूट दी जा सकती है।

जहां दूसरे चरण की सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) आवश्यक समझी जाती है और आयोजित की जाती है, वहां रेलवे प्रशासन दूसरे चरण के लिए उचित संख्या में उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग करने के उद्देश्य से पहले चरण की सीबीटी को अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग टेस्ट) के रूप में मानने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रश्न का प्रकार एवं पाठ्यक्रम:-

प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इनमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न

शामिल होने की संभावना है:

1. गणित: संख्या प्रणाली, बोडमास(BODMAS), दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि।

2. **सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति**- सादृश्य, वर्णानुक्रम और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध, न्यायवाक्य, अव्यवस्थित वाक्य रचना, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन - तर्क और मान्यताएं आदि।

3. **सामान्य विज्ञान** - इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा (सीबीएसई) के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषय शामिल होंगे।

4. **समसामयिक घटनाओं के बारे में सामान्य जागरूकता** :- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय से संबंधित समसामयिक घटनाओं के बारे में सामान्य जागरूकता संबंधी प्रश्न शामिल होंगे।

नोट - ऊपर सूचीबद्ध विषय केवल उदाहरण के तौर पर हैं और जरूरी नहीं कि संपूर्ण हों।

14.2 शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) :-

सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर, आरआरबी/आरआरसी के विरुद्ध अधिसूचित पदों की समुदायवार कुल रिक्तियों की तीन गुना संख्या में उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। हॉलांकि, रेलवे अधिसूचित सभी पदों के लिए पर्याप्त/उचित संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार इस अनुपात को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और यह अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग टेस्ट) के रूप में मानी जाएगी।पीईटी के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:-

पुरुष उम्मीदवार	महिला उम्मीदवार
बिना वजन नीचे रखे एक ही बार में 2 मिनट में 35 किलोग्राम वजन को 100 मीटर की दूरी तक उठाने और ले जाने में सक्षम होना चाहिए; और वह एक ही बार में 1000 मीटर की दूरी 4 मिनट और 15 सेकंड में तय करने में सक्षम होना चाहिए।	बिना वजन नीचे रखे एक ही बार में 2 मिनट में 20 किलोग्राम वजन को 100 मीटर की दूरी तक उठाने और ले जाने में सक्षम होना चाहिए; और वह एक ही बार में 1000 मीटर की दूरी 5 मिनट और 40 सेकंड में तय करने में सक्षम होना चाहिए।

नोट :- पैरा 11.0 में निर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पीईटी में उपस्थित होने से छूट दी गई है। हालांकि, सीबीटी में उत्तीर्ण होने के बाद, <u>ऐसे उम्मीदवारों को पीडब्ल्यूबीडी के लिए निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।</u>

2. यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे शारीरिक परीक्षा (पीईटी) में भाग लेने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ (फिट) हैं। पीईटी में भाग लेने के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को होने वाली किसी भी चोट/हानि के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा।

3. शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) में दो चरण होते हैं। एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, उम्मीदवारों का पहले निर्धारित समय में निर्धारित दूरी तक वजन उठाने का परीक्षण किया जाएगा और यदि वे इस परीक्षण में सफल होते हैं, तो कुछ समय के आराम के बाद उनका दौड़ने का परीक्षण किया जाएगा। पहले टेस्ट में असफल होने का मतलब है वजन उठाने वाले टेस्ट में असफल होना, और इस तरह उसी चरण में प्रतियोगिता से बाहर हो जाना। वजन उठाने की परीक्षा में उम्मीदवार को कमर की ऊंचाई पर स्थित बेंच/प्लेटफॉर्म से रेत की बोरी (बिना हैंडल वाली) को उठाना होगा और उसे जमीन पर गिराए बिना गंतव्य स्थान तक अपनी

इच्छानुसार किसी भी तरीके से ले जाना होगा।

4. एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स को पूरा करने वाले उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।

5. **भूतपूर्व सैनिक:** भूतपूर्व सैनिकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। हालांकि,सभी भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा,शारीरिक मानकों (यदि कोई हो) और पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, जैसा कि सीधे भर्ती के लिए निर्धारित है।

6. **गर्भवती महिला उम्मीदवार:** शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए उपस्थित होने वाली महिला उम्मीदवारों को अपनी गर्भावस्था की स्थिति बताते हुए एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि वे गर्भवती नहीं होने की घोषणा करती हैं, तो उन्हें पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। गलत घोषणा की स्थिति में, पीईटी से संबंधित सभी जोखिम स्वयं महिला उम्मीदवार के होंगे। यदि महिला उम्मीदवार पीईटी से पहले यह घोषणा करती है कि वह गर्भवती है, तो एक पुष्टिकरण गर्भावस्था परीक्षण किया जाएगा और यदि वह गर्भवती पाई जाती है, तो गर्भावस्था की अवधि की परवाह किए बिना, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और प्रसव समाप्त होने तक उसकी पैनल में नियुक्ति स्थगित कर दी जाएगी। जिस पद के लिए महिला उम्मीदवार का चयन हुआ है, वह पद उनके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसव के छह सप्ताह बाद पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी पुनः शारीरिक परीक्षण (पीईटी) की जाएगी। यदि वे पीईटी और चिकित्सा परीक्षण में स्वस्थ पाई जाती हैं, तो उन्हें उनके लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया जा सकता है और रेलवे बोर्ड के नियमों/निर्देशों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है। यदि गर्भावस्था की पुष्टि करने वाले परीक्षण के बाद महिला उम्मीदवार गर्भवती नहीं पाई जाती है, तो उसे पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

7. **ट्रांसजेंडर उम्मीदवार:** ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए भी शारीरिक दक्षता परीक्षण(पीईटी)के मानक महिला उम्मीदवारों के पीईटी मानकों के बराबर शिथिल किए जाएंगे।

14.3 दस्तावेज़ सत्यापन और उम्मीदवारों का पैनल में चयन –

सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर, पीईटी में उनकी योग्यता के अधीन, दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी (अर्थात् 1:1 के अनुपात में)।

उम्मीदवारों के पैनल में कमी या अन्य आपात स्थितियों के मामले में, आरआरबी/आरआरसी उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्प के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर मेरिट सूची में नीचे के उम्मीदवारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, इससे ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को समान मानकीकृत प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं, तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड के आधार पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात् अधिक उम्र वाले व्यक्ति को उच्च योग्यता स्थान दिया जाएगा और यदि आयु समान है, तो टाई तोड़ने के लिए नामों के वर्णानुक्रम (A से Z) को ध्यान में रखा जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जाने वाली आवश्यक चिकित्सा फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण करने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाण पत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।

कृपया ध्यान दें कि आरआरबी/आरआरसी केवल सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करते हैं और नियुक्ति केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा ही दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबी/भूतपूर्व सैनिक/सीसीएए की स्थिति के संबंध में धोखाधड़ीपूर्ण दावे या लाभों का अनुचित तरीके से लाभ उठाना अयोग्यता और आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं/भर्ती से वंचित करने का कारण बनेगा।

15.0 **अंकों का मानकीकरण:-**

जब भी एक ही पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में सीबीटी आयोजित की जाती है, तो विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची (शार्ट लिस्ट) उनके द्वारा प्राप्त मानकीकृत अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

16.0 **आवेदन कैसे करें:**

16.1	उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि गलतियों से बचा जा सके।
16.2	खाता बनाएं
16.2.1	**आरआरबी के साथ एक खाता बनाएं:** • उम्मीदवारों को सबसे पहले नीचे पैरा 24.0 (ए) में सूचीबद्ध आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करके इस सीईएन के लिए एक खाता बनाना होगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले के आरआरबी सीईएन के लिए खाता बनाया है, वे इस सीईएन के लिए भी आवेदन करने के लिए उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करें, जिसके लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करना होगा। • खाता बनाते समय आवश्यक ओटीपी प्राप्त करने के लिए एक वैध व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और सक्रिय ईमेल आईडी होना अनिवार्य हैं। • बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित "खाता बनाएं" फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। • इसलिए, उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे सभी जानकारी सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से दर्ज करें, क्योंकि एक बार खाता बनाने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
16.2.2	**पहचान प्रमाणीकरण परामर्श-** • उम्मीदवारों को उनके हित में सख्त हिदायत दी जाती है कि वे "खाता बनाएं" प्रक्रिया के दौरान डिजिलॉकर या आधार कार्ड का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करें। • ऐसा करने से भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सत्यापन प्रक्रिया अधिक सुगम और तेज हो जाएगी। • कृपया ध्यान दें कि जो आवेदक वैकल्पिक फोटो आईडी के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भर्ती के प्रत्येक चरण में काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच से गुजरना होगा।
16.3	• **ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश-** • कृपया उम्मीदवार इस सीईएन के लिए आवेदन करने हेतु केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का ही उपयोग करें और ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। • उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरें और जमा करने से पहले उसे दोबारा जांच लें। • आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई भी संशोधन/परिवर्तन नहीं कर सकेगा और (आवेदन संशोधन विंडो खुलने पर ही आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर कोई संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा) • परीक्षा का माध्यम: सीबीटी के प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं (जैसे, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन

	आवेदन पत्र में सूचीबद्ध विकल्पों में से किसी एक को परीक्षा का माध्यम चुनना होगा। सीबीटी के प्रश्न चयनित भाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रदर्शित किए जाएंगे। • चयनित आरआरबी के अंतर्गत क्षेत्रीय रेल (जोन) वरीयता क्रम: उम्मीदवार को अधिसूचित पदों के लिए क्षेत्रीय रेल (जोन)/रेलवे इकाई को वरीयता क्रम प्रदान करना होगा, जैसा लागू हो। • विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। इस सीईएन के तहत किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। • आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार को पैरा 7.1 में बताए गए अनुसार परीक्षा शुल्क के भुगतान का तरीका चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। • **महत्वपूर्ण** : • कृपया भुगतान के तरीके और इस सीईएन के अंतर्गत जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि की प्रामाणिकता के बारे में सतर्क रहें और भुगतान करते समय अनधिकृत वेबसाइटों से बचें/सतर्क रहें। • अंत में, ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। ऑनलाइन भुगतान सफल होने पर, आवेदक को इसकी पुष्टि ईमेल और एसएमएस के माध्यम प्राप्त होगी।
16.4	आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो खींचना।
	• **आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो लेने हेतु आवश्यक निर्देश:** • आवेदन करते समय उम्मीदवारों को पहले से मौजूद फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। • आवेदन मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • लाइव फोटो मोबाइल फोन के वेबकैम या फ्रंट कैमरा (स्क्रीन साइड कैमरा) द्वारा खींचा जा सकता है। • बेकग्राउंड (पृष्ठभूमि) के साथ उचित विषमता (कंट्रास्ट) बनाए रखने के लिए, सफेद रंग के अलावा अन्य गहरे रंगों के कपड़े पहनें। • इस उद्देश्य के लिए, आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर उम्मीदवार कैमरे के सामने खड़े हो या बैठें और नीचे दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। • सुनिश्चित करें कि फोटो खींचने से पहले कैमरा आंखों के स्तर पर स्थित हो। • कैमरे के ठीक सामने खड़े हो जाएं और चेहरे पर तटस्थ भाव (नेचुरल एक्प्रेशन) रखते हुए सीधे आगे देखें। • सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दें और आवेदन मॉड्यूल द्वारा दिखाए गए फ्रेम के केंद्र में हो। • सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे के न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर हो, और सिर या चेहरे का कोई भी हिस्सा निर्धारित फ्रेम से बाहर न हो। • फोटो खींचते समय टोपी, मास्क या चश्मा न पहनें। • आवेदन जमा करने तक उम्मीदवार अपनी खींची गई फोटो का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और यदि वे फोटो से संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा फोटो खींच सकते हैं।

	• इन दिशानिर्देशों का पालन न करने वाली फोटो वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। • भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की शक्ल-सूरत आवेदन के साथ जमा की गई फोटो से अवश्य मेल खानी चाहिए। • आंखें पूरी तरह से खुली होनी चाहिए, अन्यथा फोटो नहीं खींची जाएगी। **महत्वपूर्ण टिप्पणी**: 1. उम्मीदवार किसी भी मुद्रित (प्रिंटेड) या डिजिटल रूप में पहले से ली गई तस्वीर की फोटो लेने का प्रयास न करें, ऐसी किसी भी तस्वीर के साथ जमा किए गए आवेदन पत्र को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। 2. मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए पोर्टल में उपयुक्त छूट प्रदान की गई है, जिसके तहत वे आवश्यकतानुसार प्रासंगिक विकल्पों का चयन कर सकते हैं।
16.5	**ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किये जाने वाले सभी दस्तावेज/कागजात अनिवार्य रूप से स्कैन कर तैयार रखें।**
	निम्नलिखित को अपलोड करना होगा- 1. इस सीईएन के पैरा 16.5.1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में उम्मीदवार के हस्ताक्षर। 2. इस सीईएन में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पीडीएफ प्रारूप में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रमाण पत्र (मुफ्त ट्रेन यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए)
16.5.1	**उम्मीदवार के हस्ताक्षर**: उम्मीदवारों को नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी:- • हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार द्वारा ही किए जाने चाहिए। • सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन का प्रयोग करें। • हस्ताक्षर लगातार (रनिंग हैंड) में होने चाहिए (अर्थात, घुमावदार/जुड़े हुए अक्षरों में), ब्लॉक, कैपिटल या असंबद्ध अक्षरों में नहीं और हस्ताक्षर स्पष्ट, सुपाठ्य और स्कैन किए गए क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से दिखाई देने चाहिए। **हस्ताक्षर के लिए विशेष उल्लेख:** हस्ताक्षरित दस्तावेज़ को कम से कम 100 DPI के रिज़ॉल्यूशन पर स्कैन करें। • इमेज फ़ाइल फ़ॉर्मेट: केवल जेपीजी/जेपीईजी में हों। • फ़ाइल का आकार: 30 KB से 49 KB के बीच में हों। • इमेज का आकार: कम से कम 140 पिक्सल (चौड़ाई) × 60 पिक्सल (ऊंचाई)। • स्कैन किए गए हस्ताक्षर को आवेदन पत्र पर दिए गए निर्धारित स्कैन बॉक्स के अंदर रखना होगा: बॉक्स का आकार: 35 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊंचाई) हों और हस्ताक्षर की छवि इस बॉक्स के बिल्कुल बीच में हों। **हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन आवेदनों को अस्वीकार करने के कारण:** ऑनलाइन आवेदन और इस सीईएन के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में निम्नलिखित हस्ताक्षर संबंधी आधारों पर अस्वीकार कर दिया जाएगा :
	• सफेद पृष्ठभूमि (बेकग्राउंड) के अलावा किसी अन्य रंग की पृष्ठभूमि (बेकग्राउंड) का उपयोग। • हस्ताक्षर के लिए काली स्याही के अलावा किसी अन्य रंग की स्याही का उपयोग। • सीधी लिखावट (रनिंग हैंड राइटिंग) के बजाय बड़े अक्षरों में किये गए हस्ताक्षर। • हस्ताक्षर की छवि (इमेज) का निम्न रिज़ॉल्यूशन या अस्पष्ट होना।

	• अधूरा या आंशिक रूप से दिखाई देने वाला हस्ताक्षर। • हस्ताक्षर के अलावा किसी अन्य छवि (इमेज) को अपलोड करना। • हस्ताक्षर न होना (खाली पृष्ठ)। • हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान होना। • आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होना। उम्मीदवारों यह सुनिश्चित करें कि उनके हस्ताक्षर की छवि (इमेज) निर्धारित आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती हों ताकि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकृति से बचा जा सके। **महत्वपूर्ण टिप्पणी** : आवेदन पर किए गए हस्ताक्षर निम्नलिखित स्थितियों में लिए गए हस्ताक्षरों से अवश्य मेल खाने चाहिए: • परीक्षाओं के समय। • दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय। • चिकित्सा परीक्षण (एमई) के समय। • नियुक्ति के समय। **नोट:-** मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां, जिनकी दिव्यांगताएं उन्हें हस्ताक्षर करने से रोकती है, उन्हें निम्नलिखित क्रम में किसी भी उंगली के निशान की स्कैन की गई छवि अपलोड करने की अनुमति है जैसे - बाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा, हाथों की कोई भी उंगली, पैरों की कोई भी उंगली।
16.5.2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (निःशुल्क ट्रेन यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के वे उम्मीदवार जो निःशुल्क रेलवे यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति निम्नलिखित शर्तों के साथ अपलोड करनी होगी: • दस्तावेज़ केवल पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए। • फ़ाइल का आकार 400 केबी से कम होना चाहिए। • प्रमाण पत्र स्पष्ट, सुपाठ्य और आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य होना चाहिए। • यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक का नवीनतम और वैध होना चाहिए।
16.6	• **स्क्राइब की सहायता** : • **स्क्राइब सहायता के लिए पात्रता** - • दृष्टिहीनता, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों भुजाओं में अक्षमता - बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी श्रेणियों में निर्धारित दिव्यांगता वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, लेखक की सहायता के पात्र हैं। (कृपया पैराग्राफ 11.7.1 देखें) • अन्य श्रेणी की दिव्यांगताओं के लिए, लेखक की सुविधा केवल सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक का होना आवश्यक है। (कृपया अनुच्छेद 11.7.2 देखें) ▪ प्रमाण पत्र अनुलग्नक V(G) में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए। ▪ अनुलग्नक V(D) के अनुसार परीक्षा केंद्र पर वचन पत्र भी जमा करना होगा। • 40% से कम दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा

2(एस) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धारा 2(आर) के अंतर्गत नहीं) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी निम्नलिखित शर्तों पर लेखक की सहायता ले सकते हैं: (कृपया पैरा 11.7.3 देखें)

- अनुलग्नक V(E) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, और
- अनुलग्नक V(F) के अनुसार परीक्षा केंद्र पर वचन पत्र प्रस्तुत करना।
- एक आंख वाले उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिनकी दृष्टिहीनता 40% से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित नहीं माना जाता है।
- **पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में लेखक की सुविधा का विकल्प चुनना होगा।**
- ii. **स्क्राइब की सुविधा का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश** :
- दिव्यांगजनित उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में लेखक की सुविधा का विकल्प चुनना होगा।
- लेखक की व्यवस्था उम्मीदवार को स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।
- यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका लेखक rrbapply.gov.in पर पंजीकृत हो (कृपया पैरा 11.7.8 देखें)।
- संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद दी गई **पांच-दिवसीय अवधि** के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना अनिवार्य है, ताकि लेखक का विवरण और लेखक का एक बार का पंजीकरण (OTR) नंबर दर्ज किया जा सके।लेखक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को लेखक की नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए यह ओटीपी दर्ज करना होगा।
- **नोट** : किसी भी व्यक्ति को लेखक के रूप में नियुक्त करने से पहले, कृपया लेखक के लिए लागू शर्तों/योग्यताओं को समझने के लिए CEN के अनुच्छेद 11.7.9 को पढ़ें।
- iii. **स्क्राइब के लिए पंजीकरण** -
- लेखक के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, लेखक बनने के योग्य उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जाने पर, RRB पोर्टल rrbapply.gov.in पर होम पेज → लेखक पंजीकरण पर जाकर पंजीकरण कराना होगा।
- सफल पंजीकरण होने पर, एक ओटीआर नंबर जनरेट होगा और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
- केवल वैध ओटीआर नंबर वाले पंजीकृत लेखकों को ही लेखक के रूप में अपनी सेवाएं देने की अनुमति होगी।
- **नोट** : लेखक को अलग से ई-बुलावा पत्र जारी किया जाएगा। लेखक को परीक्षा के दिन पंजीकरण के समय उपयोग किए गए मूल और वैध पहचान पत्र को साथ लाना अनिवार्य है।
- iv. **स्क्राइब पर लागू होने वाली शर्तें** -
- **लेखक की नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:**
- दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल पात्र व्यक्ति ही लेखक की सेवाएं ले सकते हैं। किसी लेखक का अनाधिकृत उपयोग और/या प्रतिपूरक समय का दुरुपयोग अयोग्यता का कारण बनेगा, और यदि पहले से ही नियुक्त हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से हटा दिया जाएगा।
- कोई व्यक्ति rrbapply.gov.in पर ओटीआर पंजीकरण पूरा करने के बाद ही लेखक के रूप में कार्य कर सकता है।
- एक स्क्राइब एक ही सीईएन में केवल एक ही उम्मीदवार की सहायता कर सकता है।
- एक ही सीईएन में कोई भी उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के लिए लेखक के रूप में कार्य नहीं

	कर सकता। उल्लंघन करने पर दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। • परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता की तुलना में उम्मीदवार द्वारा नियुक्त लेखक की शैक्षणिक योग्यता एक पायदान नीचे होनी चाहिए। • स्क्राइब के बारे में दी गई जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी स्वयं उम्मीदवार की है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या प्रतिरूपण (इमपर्सननेशन) के परिणामस्वरूप उम्मीदवार उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। • स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी दुर्व्यवहार/कदाचार के लिए उम्मीदवार उत्तरदायी होगा। • यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि लेखक स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है या उन्हें हल कर रहा है, तो उम्मीदवार का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
16.7	**प्रस्तुत आवेदन विवरण में संशोधन -** ऑनलाइन आवेदन जमा करने और आवश्यक शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, जो उम्मीदवार किसी भी विवरण में संशोधन करना चाहते हैं (खाता बनाएं फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी को छोड़कर), वे ₹250 प्रति संशोधन का अप्रतिदेय (नॉन-रिफंडएबल) संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं। • **'खाता बनाएं' फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी और 'चुने गए आरआरबी' को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता है।** • संशोधन की अवधि दिनांक 23.02.2026 से 04.03.2026 तक खुली रहेगी। • दिनांक 04.03.2026 के बाद संशोधन के किसी भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। • उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सत्यापित कर लें। • आवेदन में संशोधन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए इस सीईएन का पैराग्राफ 18.0 देखें।

17.0. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत **कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी)** , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का एक हिस्सा है और इसका प्रबंधन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा किया जाता है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने और ई-वॉलेट के माध्यम से शुल्क के भुगतान में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। सामान्य सेवा केंद्र की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम सामान्य सेवा केंद्र जानने के लिए, कृपया लिंक खोलें - फाइंड माई सीएससी (https://findmycsc.nic.in/csc/ ।

18.0 **आवेदन में संशोधन-**

क. अगर कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएं' फॉर्म (जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID शामिल हैं) और चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड को छोड़कर किसी भी जानकारी में बदलाव, चेंज या सुधार करना चाहता है, तो वह हर बार 250/- रुपयें (नॉन-रिफंडेबल) की संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएं' फॉर्म (जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID शामिल हैं) और चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में भरी गई जानकारी को बदला नहीं जा सकता है।

ख. संशोधन शुल्क का भुगतान समुदाय और श्रेणी की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को करना होगा।

ग. यदि कोई उम्मीदवार अपने समुदाय को एससी/एसटी से अनारक्षित या ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में संशोधित करता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अलावा परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250/- रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

घ. इसी तरह, यदि कोई उम्मीदवार भूतपूर्वसैनिक/महिला/ट्रांसजेंडर/पीडब्ल्युबीडी से गैर-भूतपूर्व सैनिक गैर-पीडब्ल्यूबीडी/पुरुष आदि में स्विच करता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अलावा परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250/- रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ड. प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क का भुगतान करने पर ऑनलाइन आवेदन में कितनी भी बार संशोधन की अनुमति दी जाएगी।

च. इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम दिनांक और समय के 10 (दस) दिन बाद तक की अनुमति दी जाएगी यानी 04.03.2026 (23:59 बजे तक)। संशोधन विंडो 05.03.2026 से 14.03.2026 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, रेलवे भर्ती बोर्ड आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

19.0 अमान्य आवेदन / अस्वीकृतियाँ: -

क. ऑनलाइन आवेदनों को अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार किया जा सकता है:

i. **विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन**: ऐसे मामले में, सभी आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य में होने वाली सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

ii. उम्मीदवार की लाइव फोटो खींचने के संबंध में पैरा 16.4 में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

iii. पैरा 16.5 के अंतर्गत हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षा के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

iv. किसी भी आरआरबी/आरआरसी की प्रतिबंधित सूची में उम्मीदवार का नाम होना।

v. उपरोक्त अनुच्छेद 19.0(ए) के अंतर्गत सूचीबद्ध विचलनों (डेविएशन्स)सहित कोई अन्य अनियमितता जो आवेदन जांच चरण के दौरान, सीबीटी/पीईटी के लिए ई-बुलावा पत्र जारी करने से पहले/बाद में या दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पाई जाती है।

ख. अस्वीकृत आवेदन: अस्वीकृत आवेदनों का विवरण संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लॉग इन करके देखा जा सकता है। जो अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में परीक्षा शुल्क की कोई वापसी नहीं की जाएगी।उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

20.0 ई-कॉल पत्र से संबंधित निर्देश:

(क) सीबीटी/पीईटी/डीवी के कार्यक्रम(शेड्यूल) और ई-बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिंक से संबंधित जानकारी आरआरबी/आरआरसी की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

(ख) पात्र उम्मीदवार और लेखक (जहाँ लागू हो) सीबीटी की तिथि से लगभग 4 (चार) दिन पहले आरआरबी की वेबसाइटों से सीबीटी के लिए अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि पैरा 24.0 (ए) में दिया गया है। हालांकि, परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।

(ग) उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।

(घ.) सीबीटी/पीईटी/डीवी के संबंध में विस्तृत जानकारी और निर्देश ई-बुलावा पत्र के साथ दिए जाएंगे। उम्मीदवारों इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनका पालन करें, निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

(ड) निःशुल्क यात्रा सुविधा: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में जो पात्र हैं और निःशुल्क ट्रेन यात्रा का विकल्प चुनते हैं, उनके ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (स्लीपर क्लास

रेलवे पास) शामिल होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-बुलावा पत्र और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपना मूल जाति प्रमाण पत्र और यात्रा के लिए निर्धारित मूल पहचान पत्र साथ रखना चाहिए; अन्यथा उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

(च) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ई-बुलावा पत्र के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का फोटो पहचान पत्र (यदि अभी भी अध्ययनरत हैं), आदि) परीक्षा कक्ष में लाना अनिवार्य है; अन्यथा उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) सीबीटी/पीईटी/डीवी/एमई के दौरान, उम्मीदवारों को एक रंगीन पासपोर्ट फोटो लाना होगा जो सीबीटी/पीईटी/डीवी/एमई की तारीख से दो महीने से अधिक पुराना न हो।

चेतावनी: उम्मीदवारों को स्व-घोषणा का पैराग्राफ लिखना होगा, उस पर हस्ताक्षर करने होंगे और परीक्षा हॉल में निरीक्षक की उपस्थिति में ई-कॉल लेटर पर एलटीआई चिपकाना होगा और परीक्षा समाप्त होने से पहले इसे निरीक्षक को सौंपना होगा।जो उम्मीदवार स्व-घोषणा का अनुच्छेद पहले से लिखकर रखेंगे और/या बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर करेंगे, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा केंद्र, तिथि और उम्मीदवार(ओं) को आवंटित पाली (शिफ्ट) में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

21.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

(क) दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट प्रस्तुत करने होंगे।

(ख) इसके अतिरिक्त, इन उम्मीदवारों को हिदायत दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज सत्यापन (डीवी) की तिथि से पहले पोर्टल - https://oirms-ir.gov.in/rrbdv के माध्यम से फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (वास्तविक रंग में) अपलोड करें।

(ग) सभी प्रमाण पत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में ही होने चाहिए।जहां प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, वहां आवश्यकतानुसार स्व-सत्यापित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) प्रस्तुत करना होगा, दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूपों में ही होने चाहिए।

(घ) दस्तावेज सत्यापन (डीवी) की तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

(ई) दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट –

i. आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक उम्मीदवार या आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में मूल रूप से जारी आवश्यक/प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रिमीलेयर(एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक/सीसीएए/दिव्यांगजन दर्जे के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि वे पात्र हैं तो उनकी उम्मीदवारी/आवेदन पर अनारक्षित श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। **प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूपों के अनुसार ही होने चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

ii. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, चाहे वह अनंतिम हो या नियमित, में जारी करने की तिथि अंकित होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों के जारी होने की तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की है, तो अंतिम योग्यता

परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि सहित समेकित अंक तालिका (मार्कशीट) या प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष की परिणाम घोषित होने की तिथि सहित अलग-अलग अंक तालिका (मार्कशीट) जमा करनी होंगी।यदि इनमें से किसी भी प्रमाण पत्र में उत्तीर्ण होने की तिथि उपलब्ध नहीं है, तो मूल्यांकन के समय संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिणाम घोषित होने की तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22.0 **अनुचित व्यवहार का प्रयोग:-**

क. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, जैसे कि जालसाजी, धोखाधड़ी, दुर्व्यवहार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण या छिपाना, गलत जानकारी देना या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना, किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा में भेजना, प्रतिरूपण का प्रयास करना आदि, तो उसे सभी आरआरबी/आरआरसी की सभी परीक्षाओं में आजीवन के लिए बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्हें रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और यदि वे पहले से ही नियुक्त हैं, तो उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

'उम्मीदवारों का ध्यान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे दिनांक 12.02.2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है'

ख. **रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के बाद व्यापक विश्लेषण करते हैं। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है।परीक्षा के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि या कदाचार में शामिल पाए जाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारी रद्द करना और सभी आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित करना शामिल है।**

ग. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को साधने के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित और अनुपयुक्त प्रभाव डालने पर संबंधित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

चेतावनी: रेलवे में नियुक्ति दिलाने का लालच देने वाले बेईमान तत्वों और दलालों से सावधान रहें - चाहे वे प्रभाव का इस्तेमाल करें या अनुचित और अनैतिक साधनों का। आरआरबी भर्ती के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं करते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए गए ऐसे दावों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है।

23.0 **विविध:** -

23.1 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संशोधनों/शुद्धिपत्रों/सूचनाओं के लिए आधिकारिक आरआरबी /आरआरसी वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहें।

23.2 भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में, संबंधित आरआरबी/आरआरसी को उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उसके आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

23.3 आरआरबी/आरआरसी/क्षेत्रीय रेलवे (जोन) के पास किसी भी उम्मीदवार की पहचान की पुष्टि करने और उसकी पृष्ठभूमि (बेकग्राउंड) की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं संचालित करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।

23.4 आरआरबी/आरआरसी के पास किसी भी स्तर पर (आवश्यकतानुसार) अतिरिक्त सीबीटी/पीईटी/डीवी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है।आरआरबी/आरआरसी के पास इस सीईएन में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी स्तर पर, बिना कोई कारण बताए, किसी भी भर्ती प्रक्रिया के आंशिक या पूर्ण भाग को रद्द करने का

अधिकार सुरक्षित है।

23.5 पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, निःशुल्क रेल पास जारी करना, गलत सूचना के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन प्रक्रिया, सीबीटी का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में आरआरबी/आरआरसी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में आरआरबी/आरआरसी द्वारा किसी भी प्रकार की पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23.6 आरआरबी किसी भी अनजाने/टाइपिंग संबंधी त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसी त्रुटियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अनजाने/टाइपिंग संबंधी त्रुटियों के कारण, यदि किसी उम्मीदवार को सीबीटी/डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, परिणाम घोषित किया जाता है, पैनल में शामिल किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, तो आरआरबी परिणाम रद्द/संशोधित करने और ऐसे उम्मीदवारों के पैनल में शामिल होने को रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि पहले से ही नियुक्त किया गया है, तो योग्यता और अवसर की समानता के सिद्धांत को मूलभूत आधार मानते हुए, उसे सेवा से हटाया जा सकता है।

23.7 उम्मीदवार के आवेदन की अनंतिम स्वीकृति और उसे सीबीटी के लिए ई-बुलावा पत्र प्राप्त होने के बाद इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी प्रकरण का निपटारा संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार द्वारा चयनित आरआरबी स्थित है। हालांकि, किसी भी कारण से आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में, इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी प्रकरण का निपटारा माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/मध्य प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

23.8 व्याख्या संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में, आरआरबी/आरआरसी वेबसाइटों पर प्रकाशित अधिसूचना और उसके बाद के संशोधनों/शुद्धिपत्रों/सूचनाओं का अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा।

24.0

1. विभिन्न आरआरबी का विवरण नीचे दिया गया है:

रेलवे भर्ती बोर्ड , क्षेत्रीय रेलवे, वेबसाइटों एवं टेलिफोन नंबर की सूची		
अहमदाबाद (प.रे) www.rrbahmedabad.gov.in Phone: 079 – 22940858	चंडीगढ़ (उ.रे.) www.rrbcdg.gov.in Phone: 0172 – 2730093	पटना (पू.म.रे.) www.rrbpatna.gov.in Phone: 0612 – 2677680
अजमेर(उ.प.रे.) www.rrbajmer.gov.in Phone: 0145 – 2425230	चैन्नई (द.रे.) www.rrbchennai.gov.in Phone: 044 – 28275323	प्रयागराज (उ.म.रे.) www.rrbpryj.gov.in Phone: 0532 – 2224531
बैंगलुरु (द.प.रे.) www.rrbbnc.gov.in Phone: 080 – 23330378	गोरखपुर (उ.पू.रे.) www.rrbgkp.gov.in Phone: 0551 – 2201209	रांची (द.पू.रे.) www.rrbranchi.gov.in Phone: 0651 - 2462429
भोपाल (प.म.रे.) www.rrbbhopal.gov.in Phone: 0755 – 2746660	गुवाहाटी (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) www.rrbguwahati.gov.in Phone: 0361 – 2540815	सिकंदराबाद (द.पू.रे.) www.rrbsecunderabad.gov.in Phone: 040 – 27821663
भुवनेश्वर (पू.सी.रे.) www.rrbbbs.gov.in Phone: 0674 – 2303015	कोलकत्ता (पू.रे.) www.rrbkolkata.gov.in Phone: 6291516873	

बिलासपुर (द.पू.म.रे.) www.rrbbilaspur.gov.in Phone: 07752 - 247291	मुम्बई (म.रे) www.rrbmumbai.gov.in Phone: 022 – 23090422	

(क) मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में जमा की गई जानकारी की वैधता साबित करने का दायित्व उम्मीदवारों पर होगा।

(ख) महत्वपूर्ण:

(i) महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी पत्राचार संबंधित आरआरबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किए जाएंगे।

(ii) हालांकि, उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ई-मेल आईडी सक्रिय रखना होगा, ताकि एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से संचार भेजा जा सके।

(iii) आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।

(iv) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपना पंजीकरण नंबर ध्यानपूर्वक नोट कर लें और याद रखें।

2. **विभिन्न आरआरसी का विवरण नीचे दिया गया है:-**

आरआरसी	वेबसाइट पता	आरआरसी	वेबसाइट पता
मध्य रेलवे	www.rrccr.com	उत्तर पश्चिमी रेलवे	www.rrcjaipur.in
पूर्व रेलवे	www.rrcer.com	दक्षिण रेलवे	www.rrcmas.in
पूर्व मध्य रेलवे	www.rrcecr.gov.in	दक्षिण मध्य रेलवे	https://203.153.33.92/
पूर्व तटीय	www.rrcbbs.org	दक्षिण पूर्व रेलवे	www.rrcser.in
उत्तर रेलवे	www.rrcnr.org	द.पू.म. रेलवे	www.secr.indianrailways.gov.in
उत्तर मध्य रेलवे	www.rrcpryj.org	दक्षिण पश्चिम रेलवे	www.rrchubli.in
पूर्वोत्तर रेलवे	www.ner.indianrailways.gov.in	पश्चिम रेलवे	www.rrc-wr.com
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	www.nfr.indianrailways.gov.in	पश्चिम मध्य रेलवे	www.wcr.indianrailways.gov.in

25.0 इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना संख्या में इस्तेमाल किए गए संक्षिप्त रूप

भर्ती प्रक्रिया के चरण	CBT = कंप्यूटर आधारित परीक्षा, PET = शारीरिक दक्षता परीक्षा, DV = दस्तावेज़ सत्यापन, ME = चिकित्सा परीक्षा
आरक्षण/आयु में छूट श्रेणी	CCAA = कोर्स पूर्ण करने वाले अधिनियम प्रशिक्षु, EBC = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ExSM = पूर्व सैनिक, OBC-CL = अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर, OBC-NCL = अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर, SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, UR = अनारक्षित (सामान्य)
दिव्यांग	VI = दृष्टिबाधित (LV=कम दृष्टि, B=अंधा), HI = श्रवणबाधित (D=बहरा, HH=कम सुनने वाला), LD = चलने-फिरने में असमर्थता (OA=एक हाथ, OL=एक पैर, OAL=एक हाथ और एक पैर, LC=कुष्ठ रोग से ठीक हुआ, DW=बौनापन, AAV=एसिड अटैक पीड़ित, BL=दोनों पैर, SD=रीढ़ की हड्डी में विकृति, SI=रीढ़ की हड्डी में चोट), MD = बहु-असमर्थता, B-VI=पृष्ठभूमि

	में दृष्टिबाधित, B-HI = पृष्ठभूमि में श्रवणबाधित, B-LD = पृष्ठभूमि में चलने-फिरने में असमर्थता, B-MD = पृष्ठभूमि में बहु-असमर्थता, PwBD=मानदंडित विकलांग व्यक्ति, RPwD = विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
रेलवे जोन/ उत्पादन इकाई/संगठन	CLW=चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन; CR=मध्य रेलवे, PLW=पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला; ER=पूर्वी रेलवे, ECR=पूर्व मध्य रेलवे, ECoR=पूर्वी तट रेलवे, ICF=इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई; MCF=आधुनिक कोच फैक्ट्री, रायबरेली, NR=उत्तरी रेलवे, NCR=उत्तर मध्य रेलवे, NER=उत्तर पूर्वी रेलवे, NFR=पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, NWR=उत्तर पश्चिमी रेलवे, PSU=सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, PU=उत्पादन इकाई, RCF=रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला; RDSO=अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, लखनऊ; Rly=रेलवे, RRB=रेलवे भर्ती बोर्ड, RRC=रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, RWF=रेल व्हील फैक्ट्री, बेंगलुरु; SR=दक्षिणी रेलवे, SCR=दक्षिण मध्य रेलवे, SER=दक्षिण पूर्वी रेलवे, SECR=दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, SWR=दक्षिण पश्चिमी रेलवे, WR=पश्चिमी रेलवे, WCR=पश्चिम मध्य रेलवे।
रेलवे भर्ती बोर्ड (रेलवे भर्ती बोर्ड)	एडीआई=अहमदाबाद, एआईआई=अजमेर, बीबी=मुंबई, बीबीएस=भुवनेश्वर, बीपीएल=भोपाल, बीएसपी=बिलासपुर, सीडीजी=चंडीगढ़, जीकेपी=गोरखपुर, जीएचवाई=गुवाहाटी, कोल=कोलकाता, एमएएस=चेन्नई, पीएनबीई=पटना, पीआरवाईजे-प्रयागराज, आरएनसी=रांची, बीएनसी=बैंगलुरु, एससी=सिकंदराबाद।
सामान्य	BSE = केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; CEN = केंद्रीकृत रोजगार सूचना, IFSC = भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, JPEG = संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह, KB = किलो बाइट, LTI = बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, OTP = एक बार का पासवर्ड, UPI = एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस।
संस्थान /परिषद / प्रमाणपत्र	डीजीटी = प्रशिक्षण महानिदेशालय, आईटीआई = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एनएसी = राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, एनटीसी = राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र, एनओसी = अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनसीवीटी = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, एससीवीटी = राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद

चेतावनी:

दलालों और नौकरी दिलाने वाले गिरोहों से सावधान रहें जो प्रभाव का इस्तेमाल करके या अनुचित और अनैतिक साधनों का प्रयोग करके रेलवे में नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके धोखा देने की कोशिश करते हैं।आरआरबी/आरआरसी कभी भी अपनी ओर से कार्रवाई के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं करते हैं। उम्मीदवारों को ऐसे किसी भी दावे के प्रति सचेत किया जाता है जो व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किया जा रहा हो। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है।बेईमान तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न फंसें। आरआरबी/आरआरसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे केवल आरआरबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं और बेईमान तत्वों/दलालों द्वारा बनाई गई फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहें।

Annexure-I

FORMAT OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST CANDIDATES

This is to certify that Shri/ Shrimati/ Kumari*.....son/ daughter* of ……Village/Town …….
...../ District / Division*..... of the ……
.....State / Union Territory* belongs to the..... Caste*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe under:
@The Constitution Scheduled Castes Order 1950.
@The Constitution Scheduled Tribes Order 1950.
@The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;
@The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;
[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order 1956, the Bombay Reorganisation Act 1960, the Punjab Re- organisation Act 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders, (Amendment) Act 1976]
@The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Orders, 1956
@The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment)Act, 1976
@The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
@The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962.
@The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Orders, 1964.
@The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.
@The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.
@The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
@The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
@The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.
@The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.
@The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order,1989.
@The Constitution (SC) Orders (Amendment)Act, 1990.
@The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act,1991.
@The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act,1996.
@The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment)Act,2002.
@The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
@The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment)Act, 2002. As amended from time to time.
% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes / Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Srimati*
..... father/mother*of Shri /Srimati /Kumari of
Village/Town*.....in/District/Division*.....of the State/Union Territory*
……who belongs to the Caste* /Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the……dated.
% 3. Shri/Srimati/Kumari*.....and/or* his/her* family ordinarily resides in Village
Town*.....District/Division*.....of the State/Union Territory* of .....

Place..... Signature.....
Date..... Designation .....
(with seal of Office)
State/Union Territory.....

*Please delete the words which are not applicable.
@ Please quote the specific presidential order.
% Delete the Paragraph, which is not applicable.

Note: (a) The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

Officers competent to issue Caste/Tribe certificates:
1. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate / City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate/ Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of First-Class Stipendiary Magistrate). 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate. 3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar. 4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and /or his/ her family normally reside(s). 5. Certificates issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government Countersigned by the District Magistrate concerned. 6. Administrator /Secretary to Administrator (Lakshadweep, Andaman & Nicobar Islands).

INDIAN RAILWAY

Annexure-II

FORMAT FOR OBC-NCL CERTIFICATE

FORMAT OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCL)
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kum.*.....Son/Daughter* of Shri/Smt.*……of Village/Town*..... District/Division*..... in the State/Union Territory Belongs to the ..... community that is recognized as a backward class under Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No .....dated……** Shri/Smt./Kum……. and/or his/her family ordinarily reside(s) in the …… District/Division of the ……State/Union Territory.

This is also to certify that he/she does NOT belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated: 08/09/93 and modified vide GOI DOPT OM No. 36033/1/2013- Estt.(Res.) dated 13/09/2017***.

Dated: ……

District Magistrate/Deputy Commissioner/
Any other Competent Authority
Office Seal

* Please delete the word(s) which are not applicable.

** The authority issuing the certificate needs to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

*** As amended from time to time.

NOTE:

a) The term 'Ordinarily resides' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:

(i) District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/ or his family resides.

INDIAN RAILWAY

Annexure-II (A)

SELF DECLARATION BY OBC (NCL) CANDIDATE

Proforma for declaration to be submitted by Other Backward Class Candidates during Document Verification, who had applied for posts against Centralised Employment Notice No: 09/2025

" I, …… son/daughter of Shri …… resident of Village/Town/City ..... District……

State……..... hereby declare that I belong to the …….. (indicate your sub-caste) community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.09.1993 and its subsequent revision through O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 13.09.2017.

Place: **Signature of the candidate: …….**

Date: **Name Of the candidate……..**

RRB REGN. No……

INDIAN RAILWAY

Annexure-III

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (EWS)

Government of .....
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

Certificate No. ..... Date: .....

VALID FOR THE YEAR .....

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari .....
Son/daughter/wife of ..... permanent resident of .....
Village/Street ..... Post Office ..... Dist ..... in the ..... State/Union Territory ..... PIN Code..... whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"** is below ₹8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year..... His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- **(i)** 5 acres of agricultural land and above.
- **(ii)** Residential flat of 1000 sq. ft and above.
- **(iii)** Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities.
- **(iv)** Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

Shri/Smt./Kumari ....belongs to the .....
caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Recent Passport size Photograph of the Applicant.

To be attested by the authority issuing this certificate

Signature with seal of
Office .....
Name .....
Designation .....

*__Note 1:__ Income covered all sources i.e., salary, agriculture, business, profession, etc.

**__Note 2:__ The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents, and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***__Note 3__: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

The authorities competent to issue Income and Asset Certificate are indicated below:

- **I.** District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector/ Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.
- **II.** Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- **III.** Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
- **IV.** Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

INDIAN RAILWAY

Annexure-III (A)

Income Certificate for Economically Backward Class candidates

Proforma for Waiver of Examination Fees to be submitted by Economically Backward Class (EBC) candidates at the time of document verification against Centralised Employment Notice No: 09/2025.

Certificate No. ……………………………………………… **Date: …………………..**

1. Name of Candidate: ……..
2. Father's Name: ……..................
3. Age: ………..
4. Residential Address: …….
5. Annual Family Income (In words & figures): …

Date: ………………………………. **Signature: ……………………………..**

Name: …………………………………

Stamp of Issuing Authority:

Note: Economically backward classes (EBC) will mean the candidates whose family income is less than ₹ 50,000/- per annum. The following authorities are authorized to issue income certificates for the purpose of identifying economically backward classes:

(1) District magistrate or any other Revenue Officer not below the Rank of Tahsildar
(2) Sitting Member of Parliament of Lok Sabha for persons of their own Constituency
(3) Sitting Member of Parliament of Rajya Sabha for persons of the district in which these MPs normally reside.
(4) Union Minister for any persons from anywhere in the country.

INDIAN RAILWAY

Annexure-IV

DECLARATION

Proforma for Waiver of Examination Fees to be submitted by Minority candidates at the time of document verification against Centralised Employment Notice No: 09/2025

"I,…… son/daughter of Shri …… resident of village / town / city ..... district …… State …… hereby declare that I belong to the ……[indicate minority community notified by Central Government i.e., Muslim/ Sikh/ Christian/ Buddhist/ Jain/ Zoroastrians (Parsis)]."

Date: **Signature of the Candidate**

Place: **Name of the Candidate**

Note: At the time of document verification such candidates claiming waiver of examination fee will be required to furnish 'Minority Community Declaration' affidavit on Non-Judicial Stamp paper that he/ she belongs to any of the minority community notified by Central Government (i.e., Muslim / Sikh / Christian / Buddhist/ Jain/ Zoroastrians (Parsis).

INDIAN RAILWAY

Annexure-V (A)

Form-V

Disability Certificate

(In case of Single Disability)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority Issuing the Certificate)

Recent passport size photograph (Showing face only) of the person with disability

Date of Issue:

Certificate/UDID No.

This is to certify that I/we have carefully examined Shri/Smt./Kumari…….. Son/Daughter/Care of Shri……, Date of Birth…… (DD/MM/YYYY),Gender Male/Female/Transgende, Registration No……Resident of…… …… whose photograph is affixed above, and I am /we are satisfied that:

(A) He/She is a case of (Any one of the following disabilities):

(1) Locomotor Disability	(2) Muscular Dystrophy	(3) Leprosy Cured	(4) Dwarfism
(5) Cerebral Palsy	(6) Acid Attack Victim	(7) Low Vision	(8) Blindness
(9) Hearing Impairment	(10) Speech and Language Disability	(11) Intellectual Disability	(12) Specific Learning Disabilities
(13) Autism Spectrum Disorder	(14) Mental Illness	(15) Chronic Neurological Conditions	(16) Multiple Sclerosis
(17) Parkinson's Diseases	(18) Haemophilia	(19) Thalassemia	(20) Sickle Cell Disease

(B) Name of affected body part:

(C) The diagnosis in his/her case is _____

(D) He/She has _____% (in figure) _ percent (in words) disability and the nature of assessing certificate the is {Permanent / temporary and valid till Date _____(DD/MM/YYYY)} as per the guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 by Government of India vide Notification No……. dated _____ (DD/MM/YYYY).

Signature/Thumb impression of the Person with Disability:

Signature of notified Medical Authority Member(s):

Signature:
Name and Address of the Medical Authority Issuing the Certificate:

Logo of Government of India	**Logo of Department of Empowerment of Persons Disabilities, GoI**	**Logo of Respective State or Union Territory**

INDIAN RAILWA

Annexure-V (B)

FORM-VI

Disability Certificate

(In case of multiple disabilities)

[See Rule 18(1)]

(Name And Address of The Medical Authority Issuing the Certificate)

Recent Passport Size Photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate/ UDID No. :..... Date of Issue: .....

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum .....

Son//daughter/care of Shri .....

Date of Birth ..... (DD/MM/YYYY), Gender < Male/Female/Transgender> .....

Registration No. ..... <UDID Enrolment No>.....

Resident of. .....Whose photograph is affixed above and we are satisfied that:

(A) He/She is a case of **Multiple Disabilities**. His/her extent of physical impairments/ disabilities have been evaluated as per the guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 notified by Government of India vide Notification No..... dated .....(DD/MM/YYYY). for the disabilities below:

Sl. No.	Disability	Name of Affected Body Part	Diagnosis	Disability Percentage
1	Locomotor Disability			
2	Muscular Dystrophy			
3	Leprosy cured			
4	Dwarfism			
5	Cerebral Palsy			
6	Acid attack Victim			
7	Low Vision			
8	Blindness			
9	Hearing impairment			
10	Speech and Language disability			
11	Intellectual Disability			
12	Specific Learning Disability			
13	Autism Spectrum Disorder			
14	Mental illness			
15	Chronic Neurological Conditions			
16	Multiple Sclerosis			
17	Parkinson's Disease			
18	Hemophilia			
20	Thalassemia			
21	Sickle Cell Disease			

(Note: Only the disabilities diagnosed will be listed)

(B) He/She has.....% (in figure) ..... percent (in words) overall disability and the nature of certificate is {permanent/ temporary and valid till..... (DD/MM/YYYY) }

Signature/Thumb impression of the Person with Disability:

Signature of notified Medical Authority Members:

Signature:

Name and Address of the Medical Authority Issuing the Certificate:

INDIAN RAILWAY

Annexure-V (C)

LETTER OF UNDERTAKING FOR USING SCRIBE

NOTE: 1. In case of persons with benchmark disabilities in the category of Blindness, Locomotor Disability (Both Arm affected – BA) and Cerebral Palsy, the facility of scribe shall be given, if so desired by the person. The candidate can avail the assistance of scribe after submission of letter of undertaking as per Annexure-V(D) at the examination centre.

2. In case of other category of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe can be allowed on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write and scribe is essential to write examination on his behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution. The candidate can avail the assistance of scribe after producing the certificate as per Annexure-V(G) and submission of letter of undertaking as per Annexure-V(D) at the examination centre.

3. The PwBD persons having less than 40% disability (covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act) and having difficulty in writing can also avail the assistance of scribe for writing answers on their behalf after producing the certificate as per Annexure-V(E) and submission of letter of undertaking as per Annexure-V(F) at the examination centre.

PARTICULARS OF SCRIBE PROPOSED TO BE ENGAGED BY THE CANDIDATE

Paste here recent colour Passport Size Photograph of the SCRIBE of size 3.5 cm x 4.5 cm (The colour photograph should not be more than 3 months old)

Signature of SCRIBE in the above box below the photograph

1. Name of the Candidate. .....
2. Roll No. .....
3. Name of CBT Center.....
4. Qualification of Candidate.....
5. Disability Type .....
6. Name of Scribe ....
7. Date of Birth of the Scribe.....
8. Father's Name of the Scribe.....
9. Address of the Scribe:
   (a) Permanent Address.....
   (b) Present Address .....
10. Educational Qualification of the Scribe .....
11. Relationship, if any, of the Scribe to the Candidate.....
12. DECLARATION:

i) We hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of our knowledge and belief. We have read/been read out the instructions of the Railway Recruitment Board regarding conduct of the candidates assisted by Scribe/Scribes at this examination and here by undertake to abide by them.

ii) We declare that the Scribe himself/herself is not a candidate in this examination. We understand that in case it is found otherwise the candidature of both of us will be rejected.

iii) We declare that the scribe has not acted/will not act as Scribe to any other candidate of this examination.

iv) We declare that educational qualification of scribe is one step below the educational qualification of the Candidate taking examination. In case subsequently it is found that the qualification of the scribe is not as declared by the scribe, and it is beyond the qualification of the candidate taking examination, the candidate shall forfeit to the post and claims relating thereto.

(Signature of the Candidate)

(Signature of the Scribe)

Left thumb impression of the candidate in the box given above

Left thumb impression of the Scribe in the box given above

Signature of the Invigilator

INDIAN RAILWAY

Annexure-V(D)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

1. This is to certify that, we have examined Mr./Ms/Mrs ..... (name of the Candidate), S/o /D/o ....., a resident of .....(Village/ P.O./P.S./District/State), aged ..... years, a person with ..... (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidates uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid up to ..... (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority).

Signature of Medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist / Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....Chairperson				

Name of Government Hospital/ Health Care centre with seal

Place:

Date:

INDIAN RAILWAY

Annexure-V (E)

LETTER OF UNDERTAKING BY THE PERSON HAVING LESS THAN 40% DISABILITIES AND HAVING DIFFICULTY IN WRITING

Paste here recent colour Passport Size photograph of the scribe of size 3.5 cm x 4.5 cm (The colour photograph should not be more than 3 months old.

Signature of scribe in the above box below the photograph

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

1. I ---------- a candidate with ---------- (nature of disability / condition) appearing for the ---------- (name of the examination) bearing Roll No. ---------- at ----------(name of the centre) in the District ----------, ----------(name of the state). My educational qualification is ----------.

2. I do hereby state that ---------- (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is ---------- --. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

INDIAN RAILWAY

Annexure-V (F)

CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL LIMITATION IN AN EXAMINEE TO WRITE

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs _____ (name of the candidate with disability), a person with _____ (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/O / D/O _____, a resident of _____ (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature
Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability-Orthopedic specialist/PMR).

INDIAN RAILWAY

Annexure-VI

DECLARATION TO BE SUBMITTED BY EX-SERVICEMEN CANDIDATES REGARDING CIVIL EMPLOYMENT BY AVAILING EX-SERVICEMEN QUOTA

I understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Ex-Servicemen in regard to the recruitment covered by this Centralized Employment Notice (CEN), if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the civil side (including Public Sector Undertaking, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.), by availing of the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-servicemen.

I also hereby declare the following facts:

a) I have not secured any civil employment by availing Ex-Servicemen quota, before attending for document verification for the posts of CEN .....

b) I have availed Ex-Servicemen quota for securing civil employment and I have given self-declaration/undertaking to my employer about the details of application(s) for various vacancies notified in CEN for which I have applied for, before joining the civil employment. Certificate for submission of self-declaration/ undertaking from the present Employer is enclosed.

(Strikeout whichever is not applicable).

Place …….. **Signature……..**

Date: …… **Name……..**

Roll No: ……

INDIAN RAILWAY

Annexure-VI (A)

PROFORMA OF CERTIFICATE FOR EMPLOYED OFFICIALS

1. It is informed that Shri/Kum./Smt. _____ working as _____ (Rank) in _____ (Unit/office) has applied for the post of _____ as advertised by _____ (name of recruiting agency) vide Advt. No. _____ dated _____.

2. I hereby, with the information available, certify in respect of Shri/Kum./Smt._____(Name) No. _____(Rank), as follow:-

i. He/She will be completing the prescribed period of engagement of _____ years (in words) for acquiring Ex-serviceman status, subject to fulfillment of other condition, on _____ (date). Shri/Kum/Smt. _____ shall complete _____ years of service (in words) on the date of No Objection Certificate and _____ years of service (in words) at the time of leaving of military service.

ii. He/She will be released on selection to the post.

Place: **Commanding Officer:**

Date: **(Signature)**

Office Seal

INDIAN RAILWAY

Annexure-VII

PROFORMA OF SELF-DECLARATION TO BE SUBMITTED BY CANDIDATES APPLYING FOR THE POST OF HAVING MEDICAL STANDARD A2 & A3 REGARDING LASIK OR OTHER CORRECTIVE EYE SURGERY AGAINST CEN No. 09/2025

I,
Shri/Smt/Kum.....
....
Son/daughter of
……
Resident of
……
hereby declare that I have not undergone LASIK or any other corrective eye surgery.

I also agree that in case my declaration is found to be false, I shall be immediately disqualified and debarred from all recruitment in the Railways.
Place: ……
Date: ……

Signature:
……

Name:
……
RRB Registration No.
……

INDIAN RAILWAY

Annexure-A

CEN No. 09/2025 - POST PARAMETERS

Category No	Designation	Dept	Sub Dept	Med Std	VI	HI	LD	OD	MD	Age	Qualification
1	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	TRD	B1	No	D, HH	OL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes	18 to 33 years	10th pass or ITI or equivalent or National Apprenticeship Certificate(NAC) granted by NCVT
2	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	GENERAL SERVICES	B1	LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes		
3	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	GENERAL SERVICES	B1	LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes		
4	ASSISTANT (S and T)	S and T	SIGNAL	B1	LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes		
5	POINTSMAN B	TRAFFIC	TRAFFIC	A2							
6	ASSISTANT TRACK MACHINE	ENGINEERING	TRACK MACHINE	A3	No	D, HH	OL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes		
7	TRACKMAINTAINER-IV	ENGINEERING	P WAY	B1							
8	ASSISTANT BRIDGE	ENGINEERING	BRIDGE	B1							
9	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	CARRIAGE and WAGON	B1	No	D, HH	OL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes		
10	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	ELECTRICAL SHED	B1	LV	D,HH	OL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes		
11	ASSISTANT P.WAY	ENGINEERING	P WAY	B1							
12	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	WORKSHOP	C1	LV	D,HH	OL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes		
13	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	DIESEL SHED	B1	LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes		
14	ASSISTANT (S and T)	S and T	WORKSHOP	C1	LV	D,HH	OL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes		

INDIAN RAILWAY

ABBREVIATIONS:

Abbreviations	Full Forms
S and T	Signal and Telecommunication
VI	Visually Impaired (LV=Low Vision, B=Blind)
HI	Hearing Impaired (D=Deaf, HH=Hard of Hearing)
LD	Locomotors Disabilities (OA=One Arm, OL=One Leg, OAL=One Arm & One Leg)
LC	Leprosy Cured
DW	Dwarfism
AAV	Acid Attack Victim
BL	Both Legs
SD	Spinal Deformity
SI	Spinal Injury
Df	Neurological/ Limb Dysfunction)
MD	Multiple Disabilities
NCVT	National Council for Vocational Training

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE - B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE
Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts
WESTERN RAILWAY (MUMBAI)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	WR (MUMBAI)	17	6	2	13	5	43	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	WR (MUMBAI)	24	11	5	18	8	152	13	13	0	6	6	0	5	0	0	43	0	43
3	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	WR (MUMBAI)	3	1	1	1	0	12	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3
4	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	WR (MUMBAI)	13	7	3	10	3	84	8	8	5	2	4	0	3	0	0	24	0	24
5	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	WR (MUMBAI)	11	4	2	6	2	58	4	4	4	2	2	0	2	0	0	16	0	17
6	ASSISTANT P.WAY	Engineering	WR (MUMBAI)	11	3	2	6	1	23	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	WR (MUMBAI)	685	227	103	416	168	1599	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT (S and T)	S & T	WR (MUMBAI)	57	20	8	30	15	300	25	25	17	10	10	0	12	0	0	85	0	85
9	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	WR (MUMBAI)	4	2	1	4	1	30	2	2	0	0	0	0	1	0	0	9	0	9
10	POINTSMAN B	TRAFFIC	WR (MUMBAI)	318	120	49	185	79	751	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	WR (MUMBAI)	17	6	2	9	6	96	9	9	0	7	5	0	4	0	0	28	0	28

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE - B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE

Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts

NORTH WESTERN RAILWAYS (JAIPUR)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	NWR (JAIPUR)	7	2	0	1	2	12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	NWR (JAIPUR)	26	5	1	9	5	46	10	10	0	6	4	0	1	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	NWR (JAIPUR)	6	1	1	4	3	15	3	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	NWR (JAIPUR)	13	4	1	5	3	26	5	5	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT P.WAY	ELECTRICAL	NWR (JAIPUR)	4	0	0	0	2	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	NWR (JAIPUR)	297	97	26	113	67	600	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ASSISTANT (S and T)	Engineering	NWR (JAIPUR)	18	5	1	7	4	35	6	6	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT TRACK MACHINE	S & T	NWR (JAIPUR)	7	2	0	3	1	13	3	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
9	POINTSMAN B	Engineering	NWR (JAIPUR)	94	32	17	43	14	200	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRD	TRAFFIC	NWR (JAIPUR)	11	3	1	3	3	21	4	4	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE - B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE
Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts
NORTH CENTRAL RAILWAYS (ALLAHABAD)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	NCR (ALLAHABAD)	15	8	2	5	2	32	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	NCR (ALLAHABAD)	24	1	2	2	1	30	7	7	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	NCR (ALLAHABAD	4	0	1	2	0	7	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	NCR (ALLAHABAD	16	4	2	6	3	31	6	6	2	1	2	0	2	0	0	0	0	0
5	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	NCR (ALLAHABAD	251	89	42	164	54	600	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ASSISTANT (S and T)	S & T	NCR (ALLAHABAD	60	15	4	31	4	114	23	23	7	3	3	0	4	0	0	0	0	0
7	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	NCR (ALLAHABAD	9	3	1	5	1	19	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	POINTSMAN B	TRAFFIC	NCR (ALLAHABAD	164	30	30	48	28	300	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	NCR (ALLAHABAD	27	6	5	8	4	50	10	10	0	4	3	0	2	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE - B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE

Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts

SOUTH WESTERN RAILWAYS (HUBLI)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	SWR (HUBLI)	7	2	0	3	1	13	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	SWR (HUBLI)	4	3	1	1	0	9	2	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
3	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	SWR (HUBLI)	34	8	4	8	4	58	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	POINTSMAN B	TRAFFIC	SWR (HUBLI)	6	1	0	2	1	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE - B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE

Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts

WEST CENTRAL RAILWAYS (JABALPUR)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	WCR (JABALPUR)	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	WCR (JABALPUR)	20	2	4	16	8	50	10	10	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	WCR (JABALPUR)	9	3	2	5	2	21	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	WCR (JABALPUR)	3	1	1	2	1	8	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	WCR (JABALPUR)	2	1	1	0	1	5	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	ASSISTANT P.WAY	Engineering	WCR (JABALPUR)	18	6	3	11	4	42	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	WCR (JABALPUR)	300	70	42	47	63	522	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT (S and T)	S & T	WCR (JABALPUR)	44	19	7	4	19	93	18	18	5	6	4	0	4	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	WCR (JABALPUR)	13	7	1	6	4	32	7	7	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
10	POINTSMAN B	TRAFFIC	WCR (JABALPUR)	136	52	25	54	36	303	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	WCR (JABALPUR)	35	12	3	12	7	69	14	14	0	2	2	0	3	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE - B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE

Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts

EAST COAST RAILWAYS (BHUBANESWAR)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	ECR (BHUBANESWAR)	3	1	0	1	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	ECR (BHUBANESWAR)	20	7	6	10	5	48	10	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	ECR (BHUBANESWAR)	2	3	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	ECR (BHUBANESWAR)	5	1	1	0	1	8	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	ECR (BHUBANESWAR)	4	1	0	2	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ASSISTANT P.WAY	Engineering	ECR (BHUBANESWAR)	3	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	ECR (BHUBANESWAR)	163	59	30	107	41	400	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT (S and T)	S & T	ECR (BHUBANESWAR)	15	7	2	10	9	43	9	9	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	ECR (BHUBANESWAR)	32	11	6	22	6	77	15	15	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
10	POINTSMAN B	TRAFFIC	ECR (BHUBANESWAR)	68	21	11	45	18	163	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	ECR (BHUBANESWAR)	14	9	1	7	11	42	9	9	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE - B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE

Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAYS (BILASPUR)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	SECR (BILASPUR)	4	2	1	3	1	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	SECR (BILASPUR)	19	7	2	8	7	43	8	8	0	4	5	0	3	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	SECR (BILASPUR)	3	0	0	2	0	5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	SECR (BILASPUR)	4	0	0	1	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	SECR (BILASPUR)	7	2	2	3	3	17	4	4	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	ASSISTANT P.WAY	Engineering	SECR (BILASPUR)	2	1	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	SECR (BILASPUR)	264	99	39	144	83	629	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT (S and T)	S & T	SECR (BILASPUR)	32	8	4	17	5	66	13	13	1	4	5	0	1	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	SECR (BILASPUR)	12	2	2	6	2	24	5	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
10	POINTSMAN B	TRAFFIC	SECR (BILASPUR)	147	54	21	83	33	338	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	SECR (BILASPUR)	22	9	5	13	8	57	12	11	0	4	6	0	2	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE – B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE

Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts

NORTHERN RAILWAY (NEW DELHI)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	NR (DELHI)	124	46	23	83	31	307	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	NR (DELHI)	105	38	18	66	24	251	49	49	0	13	12	0	8	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	NR (DELHI)	24	9	4	16	7	60	12	12	4	3	3	0	3	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	NR (DELHI)	36	13	7	22	9	87	18	18	5	3	2	0	3	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	NR (DELHI)	53	19	9	34	11	126	26	26	6	4	5	0	3	0	0	0	0	0
6	ASSISTANT P.WAY	Engineering	NR (DELHI)	36	12	6	23	8	85	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	NR (DELHI)	710	266	133	480	175	1764	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT (S and T)	S & T	NR (DELHI)	90	33	17	58	21	219	44	44	16	4	5	0	9	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	NR (DELHI)	7	2	1	5	2	17	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10	POINTSMAN B	TRAFFIC	NR (DELHI)	212	78	40	143	51	524	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	NR (DELHI)	40	14	8	26	9	97	19	19	0	5	7	0	5	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE - B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE
Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts
SOUTHERN RAILWAY (CHENNAI)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	SR (CHENNAI)	7	3	1	5	3	19	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	SR (CHENNAI)	25	12	9	12	7	65	14	14	0	5	7	0	3	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	SR (CHENNAI)	4	3	1	3	2	13	3	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	SR (CHENNAI)	15	7	4	7	4	37	8	8	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT P.WAY	Engineering	SR (CHENNAI)	2	1	3	1	1	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	SR (CHENNAI)	225	79	44	150	58	556	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ASSISTANT (S and T)	S & T	SR (CHENNAI)	12	5	5	2	6	30	5	5	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	SR (CHENNAI)	10	4	2	6	2	24	5	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9	POINTSMAN B	TRAFFIC	SR (CHENNAI)	111	35	20	55	20	241	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	SR (CHENNAI)	19	6	7	6	5	43	8	8	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE – B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE
Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts
NORTH EASTERN RAILWAY (GORAKHPUR)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	NER (GORAKHPUR)	6	3	2	2	3	16	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	NER (GORAKHPUR)	9	6	6	1	1	23	4	4	0	2	4	0	3	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	NER (GORAKHPUR)	9	2	1	5	1	18	3	3	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	NER (GORAKHPUR)	18	6	3	7	3	37	8	8	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	NER (GORAKHPUR)	12	4	1	4	1	22	4	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	ASSISTANT P.WAY	Engineering	NER (GORAKHPUR)	14	5	3	10	3	35	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	NER (GORAKHPUR)	251	96	48	171	62	628	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT (S and T)	S & T	NER (GORAKHPUR)	29	9	8	12	5	63	13	13	4	4	0	0	7	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	NER (GORAKHPUR)	6	2	1	3	1	13	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	POINTSMAN B	TRAFFIC	NER (GORAKHPUR)	164	40	33	46	17	300	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	NER (GORAKHPUR)	19	5	3	10	4	41	9	9	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE - B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE
Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts
NORTHEAST FRONTIER RAILWAY (GUWAHATI)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	NFR (GUWAHATI)	9	4	2	7	3	25	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	NFR (GUWAHATI)	16	5	3	10	4	38	8	8	0	3	3	0	2	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	NFR (GUWAHATI)	19	7	4	14	6	50	10	10	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	NFR (GUWAHATI)	17	7	4	11	4	43	8	8	5	3	2	0	2	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT P.WAY	ELECTRICAL	NFR (GUWAHATI)	3	0	0	2	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	NFR (GUWAHATI)	357	133	66	239	89	884	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ASSISTANT (S and T)	S & T	NFR (GUWAHATI)	61	22	12	39	14	148	30	30	10	7	9	0	7	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	NFR (GUWAHATI)	14	5	2	9	3	33	7	7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
9	POINTSMAN B	TRAFFIC	NFR (GUWAHATI)	201	75	37	136	51	500	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	NFR (GUWAHATI)	21	8	3	13	5	50	10	10	0	3	2	0	4	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE - B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE
Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts
EASTERN RAILWAY (KOLKATA)/ METRO KOLKATA

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT (S and T)	S & T	Eastern Railway (KOLKATA)	40	15	9	29	10	103	20	20	6	3	2	0	1	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT BRIDGE	ENGINEERING	Eastern Railway (KOLKATA)	4	0	1	2	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	Eastern Railway (KOLKATA)	32	9	6	20	8	75	15	15	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	Eastern Railway (KOLKATA)	8	2	2	4	2	18	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	Eastern Railway (KOLKATA)	20	7	3	14	7	51	10	10	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	ASSISTANT P.WAY	ENGINEERING	Eastern Railway (KOLKATA)	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	Eastern Railway (KOLKATA)	9	3	3	7	4	26	5	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT TRACK MACHINE	ENGINEERING	Eastern Railway (KOLKATA)	21	5	2	5	0	33	7	7	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	Eastern Railway (KOLKATA)	13	3	3	8	3	30	6	6	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0
10	POINTSMAN B	TRAFFIC	Eastern Railway (KOLKATA)	87	31	20	50	20	208	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TRACKMAINTAINER-IV	ENGINEERING	Eastern Railway (KOLKATA)	160	60	28	106	39	393	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	METRO(KOLKATA)	43	4	22	30	30	129	26	26	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0
13	ASSISTANT (S and T)	S and T	METRO(KOLKATA)	2	3	3	4	1	13	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	POINTSMAN B	TRAFFIC	METRO(KOLKATA)	15	8	6	16	8	53	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	TRACKMAINTAINER-IV	ENGINEERING	METRO(KOLKATA)	15	5	6	1	5	32	6	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE - B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE
Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts
CENTRAL RAILWAY (MUMBAI)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	CR (MUMBAI)	27	10	5	18	7	67	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	CR (MUMBAI)	30	11	8	17	6	72	15	15	0	3	5	0	7	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	CR (MUMBAI)	19	8	4	4	6	41	9	9	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	CR (MUMBAI)	20	8	6	14	5	53	10	10	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	CR (MUMBAI)	43	15	6	24	7	95	18	18	4	3	3	0	1	0	0	0	0	0
6	ASSISTANT P.WAY	Engineering	CR (MUMBAI)	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	CR (MUMBAI)	341	90	66	99	85	681	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT (S and T)	S & T	CR (MUMBAI)	59	21	10	35	13	138	28	28	11	3	3	0	4	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	CR (MUMBAI)	54	20	10	36	13	133	27	27	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0
10	POINTSMAN B	TRAFFIC	CR (MUMBAI)	233	89	49	125	47	543	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	CR (MUMBAI)	62	23	13	39	13	150	31	31	0	4	6	0	4	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE – B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE

Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts

EAST CENTRAL RAILWAY (HAJIPUR)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	ECR (HAJIPUR)	11	4	2	7	3	27	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	ECR (HAJIPUR)	19	8	5	13	5	50	10	10	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	ECR (HAJIPUR)	13	4	1	7	3	28	5	5	12	1	3	0	0	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT P.WAY	ELECTRICAL	ECR (HAJIPUR)	9	3	2	6	2	22	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	ECR (HAJIPUR)	202	75	38	135	50	500	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ASSISTANT (S and T)	S & T	ECR (HAJIPUR)	11	3	1	7	2	24	6	6	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0
7	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	ECR (HAJIPUR)	43	16	8	28	10	105	21	21	0	1	7	0	24	0	0	0	0	0
8	POINTSMAN B	TRAFFIC	ECR (HAJIPUR))	92	33	17	61	22	225	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	ECR (HAJIPUR)	5	2	2	2	1	12	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE – B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE

Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts

SOUTH EASTERN RAILWAY (KOLKATA)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	SER (KOLKATA)	6	2	1	3	1	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	SER (KOLKATA)	6	4	5	9	2	26	5	5	0	3	4	2	1	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	SER (KOLKATA)	2	3	1	1	1	8	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	SER (KOLKATA)	7	4	1	5	1	18	3	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT P.WAY	Engineering	SER (KOLKATA)	8	3	1	2	4	18	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	SER (KOLKATA)	213	71	53	136	60	533	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ASSISTANT (S and T)	S & T	SER (KOLKATA)	15	16	1	10	3	45	10	10	5	4	3	0	4	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	SER (KOLKATA)	7	2	1	4	1	15	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	POINTSMAN B	TRAFFIC	SER (KOLKATA)	96	52	20	68	30	266	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	SER (KOLKATA)	4	1	0	2	0	7	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY

ANNEXURE – B

CEN No. 09/2025 - VACANCY TABLE

Railway-wise & Post-wise vacancies for all the notified Posts

SOUTH CENTRAL RAILWAY (SECUNDERABAD)

Sr. No.	Name of post	Department	Rly/PU	No. of vacancy																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	CCAA	VI	LD	HI	OD	MD	Back-VI	Back-LD	Back-HI	Back-OD	Back-MD
1	ASSISTANT BRIDGE	Engineering	SCR (SECUNDERABAD)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT CARRIAGE and WAGON	Mechanical	SCR (SECUNDERABAD)	8	3	3	6	2	22	5	5	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	SCR (SECUNDERABAD)	4	1	1	3	1	10	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT TL AND AC	ELECTRICAL	SCR (SECUNDERABAD)	8	3	1	6	2	20	4	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT P.WAY	Engineering	SCR (SECUNDERABAD)	10	5	13	7	4	39	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TRACKMAINTAINER-IV	Engineering	SCR (SECUNDERABAD)	235	97	86	170	65	653	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ASSISTANT (S and T)	S & T	SCR (SECUNDERABAD)	29	11	8	19	8	75	15	15	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT TRACK MACHINE	Engineering	SCR (SECUNDERABAD)	12	4	2	8	3	29	6	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	POINTSMAN B	TRAFFIC	SCR (SECUNDERABAD)	57	18	12	29	12	128	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	SCR (SECUNDERABAD)	12	6	3	10	4	35	6	6	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0

INDIAN RAILWAY